

## **Health Security Se National Security Cess Bill, 2025- Under Consideration**

**THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** Madam, with your permission, I beg to move<sup>\*</sup>:

That the Bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health, and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

Madam, I have, with your permission, just introduced the Health Security Se National Security Cess Bill 2025. The purpose of this Bill is to create a dedicated predictable source of resource for two domains of national importance. So, the resource stream that we want to get by introduction of this Bill, and by passing of this Bill when it becomes an Act, we expect a predictable resource stream for two domains of national importance. One of them is the health security, given the significant health burden, generally, for all Governments, both at the Centre and the State, that arises out of consumption of demerit goods like pan masala, and the second domain pertains to the national security. The national security requires sustained investment, Madam, to keep pace with evolving security needs. So, this is a cess, and it is not placed on any essential commodity. That has to be very clear from the beginning. The purpose of this cess is, of course, to levy a cess but on a demerit good. It is not on essential commodities. So, it is on demerit goods which are associated with significant health risks. We wish to impose such costs as a deterrent, so that people tend not to use it. For a start, Madam, it is being imposed on pan masala whose ill impact on the health of our citizens is very well known and very well documented. So, it ensures that critical national priorities are funded without burdening ordinary citizens on essential consumption.

मैं इस पॉइंट को हिन्दी में भी कहना चाह रही हूँ। यह कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है। यह सिर्फ ऐसे ही एक डीमेरिट वस्तु और चीज है, जैसे पान मसाला। जिसको खाने से हेल्थ को खतरा है और उसको खाने से हरेक व्यक्ति की हेल्थ को नुकसान ही होगा। यह सेस लगाने से और उसके कारण पान पसाला का दाम बढ़ाने से हम यह मानते हैं कि एक डिटेरेंट है मतलब एक रुकावट पैदा करने की कोशिश है कि दाम बढ़े, जिससे पान पसाला खाने में रुकावट आएगी।

इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा, उसे हेल्थ के अवेयरनेस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा या स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने का प्रावधान है। सेस लगाने से सब के मन में तुरंत यह बात आती है कि सेस के द्वारा केन्द्र सरकार को जो आमदनी मिलती है, केन्द्र सरकार उसका उपयोग करती है, अपने हाथ में रखती है और स्टेट्स से शेयर नहीं करती है। हम हेल्थ के विषय में यह बात इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि सेस के रूप में यह टैक्स, पान मसाला जैसी चीज के ऊपर लगाने के लिए प्रावधान है।

इससे जो सेस आता है, उसमें से हम एक हिस्सा स्टेट को भी स्कीम के द्वारा देंगे कि आप इसे हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स में उपयोग कीजिए। यह सेस है, फिर भी हम स्टेट के साथ स्कीम्स के द्वारा शेयर करने का प्रावधान रख रहे हैं।

मैं दोबारा ओपनिंग स्टेटमेंट में ही क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यह सेस है, एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं है। नॉर्मली, सेस सेन्टर के हाथ में रहता है, मगर हम इसमें से एक भाग स्टेट को भी दे रहे हैं, ताकि वे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकें। मैं यह स्पष्टता पहले से देना चाहती हूँ क्योंकि पान मसाला जीएसटी के सिस्टम में भी है और क्योंकि उधर डिमेरिट के नाम पर कैटेगरीज्ड किया गया है, आप इसके ऊपर सबसे ज्यादा जीएसटी सिस्टम में 40 प्रतिशत टैक्स लगा सकते हैं, हम वह इसके ऊपर पर लगाएंगे। पान मसाला एक ऐसा आइटम है, जो जीएसटी सिस्टम में भी है। हम इधर सेस लगा रहे हैं तो क्या हम जीएसटी को वीकेन करना चाह रहे हैं, तोड़-मरोड़ करना चाह रहे हैं, उसमें इससे कुछ बाधा उत्पन्न होगी, नहीं। क्योंकि जीएसटी सिस्टम के मुताबिक पान मसाला के कंजम्पशन के ऊपर 40 प्रतिशत टैक्स होगा, वह बरकरार है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मगर हम जो सेस लगा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी सिस्टम में कंजम्पशन के ऊपर है और आज भी जीएसटी सिस्टम में पान मसाला के कंजम्पशन के ऊपर जो टैक्स है, वह 28 प्रतिशत प्लस कम्पनसेशन सेस है और वह कम्पनसेशन सेस खत्म होने वाला है। इसलिए वह उधर 40 प्रतिशत रेट में चला जाएगा। मगर इसके बाद भी, आज भी पान मसाला बहुत सारे टैक्सेज में नहीं आता है। क्योंकि उधर कंजम्पशन के बेसिस पर जीएसटी लगाया जाता है और कैपेसिटी मशीन का और ज्यादा भी है। उधर जीएसटी में कैपेसिटी के ऊपर, उत्पादन के ऊपर टैक्स नहीं है। इसीलिए टोबैको जीएसटी में भी है और कल यह एक्साइज ड्यूटी में भी लाया गया है उत्पादन के ऊपर एक्साइज। मगर हम पान मसाला के उत्पादन के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वह एक्साइजेबल नहीं है। कल मैंने एक्साइज के द्वारा सिगरेट के ऊपर यह डाला, उसमें पान मसाला को जोड़ना था, मगर वह एक्साइज की कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए हम कल सिगरेट को ले आए क्योंकि सिगरेट के ऊपर भी 40 प्रतिशत से अधिक टैक्स होना चाहिए, क्योंकि वह सस्ते में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्साइज ड्यूटी के द्वारा सिगरेट पर यह लगाया गया है। पान मसाला एक्साइज में नहीं आता है, तो हम नए कानून के द्वारा प्रोडक्शन के ऊपर सेस के नाम पर टैक्स लगा रहे हैं और उसको हम स्टेट के साथ भी स्कीम के द्वारा शेयर कर रहे हैं। यह इस कानून का एक यूनिक पॉइंट है। मैं इसको पहले ही सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि माननीय सदस्यगण को इससे परिचित होना चाहिए। हम यह टोटली डिफरेंट आस्पेक्ट में लगा रहे हैं, मैंने यह बात एक मिनट पहले उल्लेख किया है। मैं यह दोबारा बोल रही हूँ कि it is not imposed on consumption. हम यह कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी के द्वारा लगा रहे हैं। मगर इधर मशीन लिंकड और कैपेसिटी बेस्डपोटेंशियल के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। सिगरेट पर मशीन लिंकड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स कल एक्साइज के द्वारा लगाया गया। मगर मैंने जैसा कि पान मसाला के बारे में बताया है क्योंकि यह एक साइजेबल नहीं है, उसके लिए अलग कानून बनाना पड़ रहा है। हमारा कुछ और मकसद नहीं है। मगर हम यह कानून सेस के नाम पर ला रहे हैं, इससे जीएसटी सिस्टम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण जीएसटी कम होगा, ज्यादा होगा, कोई कुछ नहीं। वह सिस्टम इनटैक्ट है।

मैं एक और स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, क्योंकि हम मशीन बेस्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो यह प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स नहीं है। यह भी स्पष्ट रहना चाहिए। जीएसटी में कंजम्प्शन के ऊपर टैक्स है। इधर मैं कह रही हूँ कि वह एक्साइजेबल नहीं हैं, इसलिए एक नया कानून जरूरी है और कैपेसिटी के ऊपर टैक्स, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है।

आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके ऊपर नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर है। पान मसाला के विषय को समझने वाले के लिए थोड़ा विस्तार से स्पष्टीकरण दे रही हूँ। एक मशीन हो सकता है, एक्स स्पीड में चलता है, इतने पाउचेज तैयार करती है, दूसरी मशीन हो सकती है और तेजी से काम करता है, पान मसाला के ज्यादा पाउचेज तैयार करती है, दोनों अलग हैं, दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है। आखिर दोनों मशीनें एक्चुअली क्या प्रोडक्शन करती हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी के ऊपर सेस लगा रहे हैं। हरेक फैक्ट्री के लिए उनकी लायबिलिटीज अलग-अलग से तैयार होंगी। इसका निर्णय कौन करेगा, वह अपने आप भी करेंगे, सरकार भी करेगी, मगर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर हरेक का अलग है। मैं ओपनिंग में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ जिससे डिबेट में स्पष्टता रहे, मैं इतना ही कहकर बैठ जाती हूँ। डिस्कशन के बाद हरेक मेंबर को रिप्लाइ करूँगी।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को पूर्ण करने के लिए संसाधनों के संवर्धन और मशीनों के संस्थापन या अन्य प्रक्रियाओं पर, जिनसे विनिर्दिष्ट माल विनिर्मित या उत्पादित किए जाते हैं, उक्त प्रयोजनों के लिए उपकर के उद्ग्रहण और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री वरुण चौधरी (अम्बाला): माननीय सभापति महोदय, पान मसाला के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, यह इस विधेयक के माध्यम से जानकारी मिलती है। कल चर्चा हो रही थी कि तम्बाकू के सेवन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, जानें भी जाती हैं, लेकिन आज इसके अंदर अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं, पान मसाले पर उप-कर लगाने से न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा का व्यय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यय को पूर्ण करने की क्षमता देखी जा रही है।

मैडम, विधेयक को पढ़ने से पता चलता है कि यह स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, पान मसाले से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है। हरियाणा में भी इसी प्रकार से जब कोविड काल था, सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया, मंदिर को बंद किया गया, गुरुद्वारों को बंद किया गया, लेकिन शराब के ठेकों को खोल कर रखा गया। उसके अंदर संभावनाओं को देखा गया। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधेयक का नाम एक भाषा में न होकर अलग-अलग भाषाओं में है, कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं, कुछ शब्द हिन्दी के हैं, जैसा बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उसी प्रकार से विधेयक का नाम भी अलग-अलग भाषाओं में है। मैं मानता हूँ कि पूरा हिन्दी में भी हो सकता है या अंग्रेजी में, लेकिन उसका पूरा नाम हिन्दी में भी हो सकता है, यह आधा-अधूरा सही नहीं है।

अभी वित्ती मंत्री जी ने उप-कर के बारे में जानकारी दी, यह सही है कि उप-कर लगाया जा रहा है, कर नहीं लगाया जा रहा है। कर लगता है तो डिवोल्यूशन होता है, राज्यों को भी हस्तांतरण होता है, राज्यों को पैसा

मिलता है । लेकिन उप-कर लगाने से हस्तांतरण नहीं होता है तो उससे सरकारें कमजोर पड़ती हैं । आज हर राज्य पैसे की तंगी में है, उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है ।

उनकी ब्याज की अदायगी बढ़ती जा रही है । जैसा अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो उपकर होगा, उसको राज्यों के साथ भी शेयर किया जाएगा, लेकिन मुझे इस विधेयक में यह कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला । कृपया इस बारे में जरूर वित्त मंत्री जी बताएंगी । विधेयक की धारा-4 (2) में लिखा है कि -

The cess leviable under sub-section (1) shall be in addition to any other duties or taxes chargeable on the specified goods under any law for the time being in force.

जब पूरे देश में गा-गाकर बताया गया कि एक देश है, एक टैक्स है, तो टैक्सेज़ वाली इतनी बड़ी त्रुटि कैसे रह गई । जब एक ही टैक्स है, तो टैक्सेज़ कैसे लिखा गया? या तो इस त्रुटि ठीक करके बताया जाए कि देश में एक नहीं, बल्कि और भी बहुत-से टैक्सेज़ हैं । या फिर इस त्रुटि को ठीक किया जाए । इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर राज को जरूर बढ़ावा मिलेगा । अभी वित्त मंत्री जी ने बताया कि जीएसटी तो कंजम्प्शन पर है, लेकिन सेस प्रोडक्शन कैसेपिटी पर लगाया जा रहा है । इससे तो इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा । इसके उद्देश्य में लिखा गया कि तकनीकी और निरीक्षण आधारित मॉनिटरिंग के माध्यम से अनुपालन होगा । समुचित अधिकारी हर कारखाने में जाएंगे, कैसे फैसला लेंगे और कितनी बार जाएंगे, यह भी लिखा गया । यह भी लिखा गया कि यदि कोई मशीन लगातार 15 दिन खराब रहती है, तभी उनको उपकर में रियायत मिलेगी । यदि 14 दिन खराब रही, तो कुछ नहीं मिलेगा । जो बड़े कारखाने होते हैं, उनके पास तो एएमसी होता है, जो छोटे कारखाने होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनके पास इस तरह का प्रावधान नहीं होता है । वे कहां जाएंगे और कैसे फैसला होगा कि मशीन लगातार 15 दिन खराब रही? यह वापस इंस्पेक्टर राज को लेकर आने वाला है । शायद 12 बार से भी अधिक बार रिटर्न फाइल करने हैं । यदि कोई कमी हुई, तो अलग-अलग प्रावधान हैं । जेल जाने के साथ ही फाइन लगाने के भी प्रावधान हैं ।

महोदया, शेड्यूल-2 टू में बताया गया कि मशीन की गति 500 पाउच या कंटेनर की है । पाउच का वजन ढाई ग्राम तक है, तो एक करोड़ एक लाख रुपये महीने का उपकर सेस लगेगा । इसमें कोई पाउच दो रुपये का होगा, कोई पाउच 20 रुपये का होगा, लेकिन उपकर बराबर लगेगा । यह भी लघु उद्योगों को नुकसान में लेकर जाएगा और वे खत्म हो जाएंगे । बड़े उद्योग वाला तो चल जाएगा, लेकिन छोटे उद्योग वाले को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा । इसी प्रकार से इस विधेयक के अंदर पहली अनुसूची में क्रम संख्या 1 पर पान मसाला वर्णित है । इस पर उपकर लगाया जाएगा । क्रम संख्या 2 में लिखा गया है कि कोई अन्य माल, जिसे अधिसूचित किया जाएगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो इस तरह के डी-मेरिट गुड्स हैं, उन पर ही यह सेस लगाया जाएगा, लेकिन यह जो विधेयक है, इसमें कहीं भी यह जानकारी नहीं है । इसमें तो उसे खुला छोड़ दिया गया है कि किसी भी माल को, जिसे अधिसूचित किया जा सकेगा, उसे पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में जोड़ा जा सकता है । कहीं पर भी डीमेरिट गुड्स का नाम नहीं है, तो यह जुड़ना चाहिए । यह मेरी प्रार्थना है । यह बहुत आवश्यक है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि इस तरह से इसमें बहुत सी कमियां हैं । जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, वह इस विधेयक में दर्शाया नहीं गया है, तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसके अंदर जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाए । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025, जिसे हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, पर बोलने का अवसर दिया है।

माननीय वित्त मंत्री जी जब कल इसी सदन के समक्ष सिगरेट और तम्बाकू पर टैक्स लेकर आयी थीं, क्योंकि कंपेनसेशन सेस खत्म हो रहा था, तो कल एक दूसरी भाषा थी और आज जब स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बिल लेकर आयी हैं, तो अभी हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे, तो आज उनकी दूसरी भाषा है। मैं समझता हूँ कि यह सदन इस बात का गवाह होगा कि देश की आजादी के बाद से तमाम विभाग के मंत्रालयों के, अलग-अलग विभाग से संबंधित हमारे विधेयक आते हैं, शायद यह इस तरह का पहला बिल होगा और यह इस सरकार की प्राथमिकता होगी, इस सरकार की सोच होगी कि अगर हम किसी डीमेरिट गुड्स पर एक सेस लगाने जा रहे हैं तो उस सेस का एक-एक पैसा, उसकी एक-एक पाई हम कहां खर्च करेंगे, हमारी क्या प्राथमिकता होगी या हमारे देश के सामने उस प्रतिबद्धता को इस बिल में दर्शाने का काम कर रही है। कदाचित आप भी इस बात की गवाह होंगी कि शायद एक बिल में, किसी भी देश की क्या प्राथमिक सुरक्षा हो सकती है या उसकी क्या प्राथमिकताएं होती हैं। किसी भी देश की जो प्राथमिकता होती है, वह उस देश में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की एक प्रतिबद्धता या गारंटी की बात होती है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चिंता अगर कोई है तो वह उसके लोगों की हेल्थ सिक्योरिटी की चिंता है। चाहे माननीय वित्त मंत्री जी ने कोविड का जिक्र किया हो और चाहे कोविड के पहले किसी वायरस की बात हो या कोई अन्य पेंडेमिक हो, देश के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसकी जनता के स्वास्थ्य की होती है। दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता उस देश में रहने वाले लोगों की, सीमाओं की सुरक्षा हो या उस देश की नेशनल सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है कि किसी भी देश की दो सर्वोच्च प्राथमिकताएं हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी हो सकती हैं। मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि वह पहली बार हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, दोनों का समन्वय एक विधेयक में करके लायी है और इस बात की प्रतिबद्धता कर रही है कि हम जो यह सेस डीमेरिट गुड्स पर लगाने जा रहे हैं, इसकी एक-एक पाई हम किसी अन्य चीज में खर्च नहीं करेंगे। हम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करेंगे। डेवलपमेंट भी जरूरी है। आज हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, जब कल इसी सदन में हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी ग्रोथ रेट 8.2 है, तो हमारी सुप्रिया बहन यहां बैठी हैं, वे आईएमएफ का कमेंट भी पढ़ लें। आज भी आईएमएफ ने कहा है : Apart from all the constraints, India is one of the fastest growing economies और वह सबसे अच्छी है। वह भी आईएमएफ का कोट है और उसका जवाब बहुत स्पष्टता के साथ कल माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। इसलिए मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। (व्यवधान)

नहीं-नहीं, वे तो आपकी साथी हैं, वे पढ़कर आती हैं। ऐसा नहीं है, वे पढ़ती हैं। मैं यह नहीं कहूंगा, लेकिन जो चीज उनके उपयोग की है, वे उसे पढ़ती हैं, जो उन्हें कहना है। वे जानती सब हैं। सुप्रिया जी की विद्वता पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि एक वे एक विधेयक में दो सब्जेक्ट्स लेकर आयी हैं। अगर हम इस सेस को लगा रहे हैं, इस उपकर को लगा रहे हैं तो इस पैसे से इस देश में रहने वाले एक-एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी होगी।

दूसरी तरफ उस सेस के पैसे से हमारी नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। हम एक विधेयक लेकर आए हैं कि एक ही कानून से हमारी सरकार व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी दे रही है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की भी गारंटी दे रही है। इस विधेयक से जो राजस्व आएगा, वह व्यक्तियों की सुरक्षा की बात करेगा, वहीं

राष्ट्र की सुरक्षा पर हमारा पैसा खर्च होगा। व्यक्ति के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आदमी की हेल्थ होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और देश की सुरक्षा के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसकी पुलिस और आर्मी है। यह बिल, चाहे हेल्थ हो या सिव्योरिटी हो, हम इस बिल को लेकर आए हैं। इस सेस के पैसे की एक स्पष्टता के साथ सदन को सरकार आश्वस्त कर रही है, लेकिन यदि इससे पहले हम देखें तो शायद देश की आजादी के बाद पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, शायद दुनिया में केवल एक देश यूएसए है, जिसके बराक ओबामा ने अपने देश की 24 करोड़ जनता के लिए ओबामा केयर के नाम से हेल्थ गारंटी दी थी एवं यह दुनिया का दूसरा देश है, जिसने 140 करोड़ लोगों के लिए मोदी आयुष्मान भारत की गारंटी देने का काम किया है। मुझे लगता है कि शायद इस बात को कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में लोग विश्वास नहीं करते कि पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष, यदि परिवार के किसी सदस्य को दुर्भाग्य से कोई बीमारी हो जाए या किसी प्रकार की अस्वस्थता हो जाए या जीवन-मृत्यु की स्थिति में जहां जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता है। इसमें परिवार समाप्त हो जाता था, आज उन परिवारों को यह सुविधा मिल रही है। जहां लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी कोविड से अभी तक चली आ रही है। प्रतिपक्ष यही कह रहा था कि वर्ष 2019 के चुनाव के लिए पांच किलो अनाज के लिए हुई है। आज आपने देखा कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2025 तक में आज भी देश के हर व्यक्ति को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी यदि किसी ने दी है, तो नरेन्द्र मोदी की सरकार ने दी है। आज किसी को यह चिंता नहीं है कि हमारे सामने अगर रोजी-रोटी का संकट आ जाएगा, तो किस तरह से होगा।

महोदया, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज आपकी कांस्टीट्यूएन्सी में किस तरीके से लोगों को पांच लाख रुपये का फायदा मिल रहा है, भदौरिया जी आप यह जानते हैं। प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड द्वारा लोगों को हेल्थ की एक कवरअप गारंटी दे दी, क्योंकि गांवों में लोगों के पास न हेल्थ इंश्योरेंस होता है, न गांवों में लोगों के पास पैसा होता है, क्योंकि वहां लोग सुबह से शाम तक दिहाड़ी करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की गारंटी मोदी सरकार ले रही है।

महोदया, इस दिशा में केवल यह ही नहीं है कि हमने केवल मेडिकल केयर का काम किया है। आज इस मेडिकल केयर की बात जहां इस स्कीम से की है, वहीं मेडिकल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया है और जैसा कि कल कहा ही था कि वर्ष 2014 में इस देश में केवल 378 मेडिकल कॉलेजेज़ थे, आज वर्ष 2025 में 706 मेडिकल कॉलेजेज़ हैं। शायद दुनिया में इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले एम्स की बात हर जगह हो रही थी कि हमारे राज्य में एम्स नहीं है, केवल दिल्ली में एम्स है या केवल लखनऊ में है। वर्ष 2014 में मात्र सात एम्स थे और आज वर्ष 2025 में करीब-करीब हर राज्य में एम्स दिए गए हैं। स्पेशलाइज्ड सुपरस्पेशियलिटी जो पहले दिल्ली और चंडीगढ़ आते थे, आज उसको सब प्राप्त कर रहे हैं।

हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देंगे, जिससे कि लड़कों को वहीं पर डॉक्टर की पढ़ाई करने का मौका मिले और उसकी पढ़ाई के साथ डॉक्टरों की सेवाएं भी गांवों में मिले। आप नेशनल सिव्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप सभी वरिष्ठ सांसदगण यहां बैठे हुए हैं। मैंने देखा है कि जब कहीं आतंकवाद की घटनाएं होती थीं, तब कांग्रेस यूपीए की सरकार में, निशिकांत जी भी यहां होंगे, केवल गृह मंत्री कहते थे कि हमने पाकिस्तान सरकार को डोजियर दे दिया है कि पाकिस्तान सरकार अपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। डोजियर से ज्यादा कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती थी। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन बार कपड़ा बदलते थे। यह आजादी के बाद पहली बार है। देश में एक-दो नहीं, बल्कि देश के तमाम राज्य नक्सवाद से प्रभावित थे, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, चाहे साउथ-नॉर्थ हो। यह कितनी बड़ी समस्या थी।

आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में आए हैं। वर्ष 2018 में देश के 126 जिले जिस तरह से नक्सलवाद से प्रभावित थे, नक्सलवाद से जूझ रहे थे, आज वर्ष 2024 में वे 126 जिले घटकर 38 हुए हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का लगातार बयान आता है कि मार्च, 2026 तक भारत देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम करेंगे। इसके बाद भी आप इसे संभावनाओं का बिल कहते हैं। आप या तो ज्ञान या समझकर भी तैयार नहीं हैं कि ये संभावनाओं का बिल है। जिस सरकार का यह रिपोर्ट कार्ड हो, जिस सरकार की उपलब्धियाँ हों, देश की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नक्सलवाद था, जिससे पूरा देश जूझ रहा था। हमने काफी लोगों को नक्सलवाद में गंवाया है। आपकी तरफ के भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य लोगों की जानें नक्सलवाद से गई हैं। आज यह देश विश्व के सामने कह सकता है कि यह कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को पूरा किया है।

अगर आज इस सेस या उपकर से पैसा आएगा, तो निश्चित तौर पर यह इसलिए संभव हो रहा है कि हमने केवल पुलिस से उन नक्सलवाद का खात्मा नहीं किया है। नक्सली एरिये में न टेलिकॉम, न पोस्ट ऑफिस, न तार बिछ पाता था, न सड़कें बन पाती थीं, क्योंकि नक्सली उसको तोड़ देते थे। आज उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को जहाँ एक तरफ पुलिस से कम्बैट कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स कम्बैट कर रही हैं, दूसरी तरफ उस क्षेत्र का हम विकास भी कर रहे हैं कि नौजवान नक्सलवाद की तरफ न जाएं, क्योंकि वहाँ पर बुनियादी विकास हो रहा है, पोस्ट ऑफिस खुल रहे हैं, मेडिकल केयर सेंटर खुल रहे हैं, टेलिकॉम का विस्तार हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए 30-30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शायद ये पहली बार सरकार ने दिए हैं। जिस जिले में संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावित जिलों को भी 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे आज उन जिलों में निश्चित तौर से बैंक बन रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर वर्ष 2017 में पान मसाला, गुटखा पर भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया था। आज बार-बार यह कहा जा रहा है कि साहब मशीन पर टैक्स। अरे साहब किस राज्य को यह पता नहीं है कि जो पान मसाला बनता था, अभी तक इन पर जो टैक्स लगता था वह केवल फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू पर लगता था। आपने कहा कि हम पांच हजार पाउच बना रहे हैं, तो आपको उन पांच हजार पाउच पर टैक्स देना है, जबकि आप एक लाख पाउच बना रहे हैं। आज दस गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं और आप केवल एक ट्रक पर टैक्स दे रहे हैं। हमारे राज्य में इस समय जीएसटी के तमाम ऑफिसर्स इसमें सस्पेंड किए गए हैं। ये तो मैं पहली बार कहूँगा कि आज देश में बड़े पैमाने पर गुटखा, पान पराग में बहुत बड़े में टैक्स एवेजन हो रहा है, जिसका लाभ देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मिलेगा। यह विधेयक इसलिए स्वागत योग्य कदम है कि इस तरीके की यह चीज पहली बार उठाई गई है। आखिर आप क्यों नहीं कर पाए?

मुझे लगता है कि अगर आपने मशीन से एक लाख पाउच बनाने की बात कही और आप कहें कि हमने एक लाख पाउच बनाने की मशीन लगाई है, लेकिन हम पांच हजार पाउच प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो साहब, क्या यह फेयर है? इससे साफ है कि एक लाख पाउच रोज बनाने की मशीन है, क्योंकि एक मिनट में पांच हजार पाउच बन जाते हैं। मशीन में मसाला डाला और पैकिंग होती रहती है। यूपी में कानपुर इसका बहुत बड़ा सेंटर है, लखनऊ है। इसका दिल्ली में भी सेंटर है और अन्य जगहों पर भी हो रहा है। अगर आज इतना बड़ा सुधार है, तो अब यहाँ इस सदन में इस बात को वरुण जी आप बोल रहे हैं, लेकिन देश के सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जिनमें कांग्रेस के भी होंगे, टीएमसी के भी होंगे, डीएमके के भी होंगे, वे सब इसको रियलाइज कर रहे थे। इसीलिए इस विधेयक पर सेस लगाने का जो प्रोविजन है, जीएसटी काउंसिल से परस्पर सर्वसम्मति मिली

है। जब एक तरफ राज्य सरकारों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बात से सहमत होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है।

आज जब इस फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू की जगह पर, जो अभी तक सैस कैलकुलेट होता था, वह यह है कि 135 पैकेट्स पर 20 पर्सेंट टैक्स होगा। लेकिन अब, जब मार्च, 2026 में वह खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद यह हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी लागू होगा। अब यह केवल फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू पर नहीं लागू होगा, बजाय इसके जो पान मसाला का उत्पादन करनी वाली मशीन है, उसकी कैपेसिटी पर है। अगर केवल विरोध के लिए विरोध करना है, देश की सुरक्षा के साथ विरोध करना है तो बात अलग है। अगर इसका एक-एक पैसा देश की सुरक्षा, देश के नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, खर्च होता है, तो इसमें क्या बुराई है? आज तो बिना इस सैस के भी, कोई देश कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वह अपने हर व्यक्ति को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य की गारंटी दे सके। इस बार सरकार बनने के बाद अभी तक तो सोश्यो-इकोनॉमिक लिस्ट में जिसका नाम था, उस परिवार को इसका लाभ मिलता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कह दिया कि जो 70 वर्ष का व्यक्ति हो गया, चाहे किसी भी जात-बिरादरी, किसी भी इनकम का होगा, उसको आयुष्मान कार्ड से कवर किया जाएगा। यह अपने आप में कितनी बड़ी सुरक्षा प्रदान करने की बात है। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो एक तरह से आप टैक्स एवेजन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और अपने देश के लॉस ऑफ रेवन्यू को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, आप एक जिम्मेदार नेता, प्रतिपक्ष के रूप में हैं या आप एक सांसद के रूप में हैं तो क्या इस देश में जो राज्य सरकार का होना चाहिए और सरकारें फेडरल स्ट्रक्चर में अलग नहीं होती हैं, आखिर कल भी जो विधेयक पास हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसका फायदा केवल केंद्र को ही मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने साफ कहा है कि उसका पैसा रियल में जिस तरीके से केंद्र को आएगा, उसी तरीके से राज्य को भी मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो अभी तक पान मसाला आदि पर कोई टैक्स चोरी करता था, अब शायद नहीं कर पाएगा। आपने इसके ऐम एंड ऑब्जेक्ट में देखा होगा, आखिर जियो-पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात होती है। आज पूरी दुनिया जूझ रही है रशिया-यूक्रेन की लड़ाई में। आप देख रहे हैं कि इज़राइल-फिलिस्तीन में, गाज़ा पट्टी में क्या हो रहा है? जहां लोग कहते थे कि भारत थर्ड वर्ल्ड का बैटल फील्ड बनेगा, आज दुनिया भारत की विकास की तेज़ी को देख रही है। भारत की जीडीपी को देख रही है। भारत की ग्रोथ रेट को देख रही है, न कि अब भारत के युद्ध को कोई देख रहा है। आज लोग रशिया-यूक्रेन की तरफ देख रहे हैं। आज इज़राइल-फिलिस्तीन की गाज़ा पट्टी की तरफ देख रहे हैं। आज भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसने इस जियो-पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी अपने हितों के साथ कोई समझौता करने का काम नहीं किया है। हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन हमें रशिया से सस्ते दामों पर तेल मिल रहा था। भारत पहला देश है, जिसने अमेरिका से रिश्तों के बावजूद भी रूस से सस्ता तेल लेने का काम किया और इसके कारण से आज अमेरिका ने टैरिफ लगाया। जिस तरह से 25 पर्सेंट टैरिफ लगा, उसके बाद 50 पर्सेंट लगा, तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी लोगों को लगता था कि हमारा यूएसए में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, उसमें गिरावट आएगी। उसके बावजूद भी आज अगर ओवरऑल जीडीपी रेट देखें तो यह हमारे लिए निश्चित तौर से इस सदन में, जब मैं खड़ा हूँ तो आज न केवल इस बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरे देश के लिए आश्चस्त होने और संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज दुनिया की इस पूरी जियो-पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी, यह आईएमएफ का भी रिव्यू है, सुप्रिया जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आईएमएफ ने कल क्या कहा था? आपने कुछ कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि *Indias economy had continued to perform well. It is an IMF report. I think so*, इसको भी आप देख लीजिए।

दूसरी बात, आज जीडीपी की ग्रोथ देख लें। हम वित्तीय वर्ष 2025-26 के क्वार्टर-टू का डेटा देख लें। मेरे पास सभी आंकड़े हैं, लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। इंडिया की क्या ग्रोथ रेट है, इस पर तो आप कोई असहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट 8.2 परसेंट है। आज भारत की ग्रोथ 8.2 परसेंट है। यूएसए, जिसकी इकोनॉमी, जिसके डॉलर को कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, उसकी 3.8 परसेंट है। रशिया की 1.1 परसेंट है, चाइना की 5.2 परसेंट है। इसलिए हम आज इस सदन में कह सकते हैं कि हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज़ी से जीडीपी ग्रोथ करने वाला देश है।

India is becoming one of the fastest growing economy in the world at the rate of 8.2 per cent. वर्ष 2025-26 में हमारी 8.2 परसेंट की रेट है। हम क्वार्टर वन में 7.8 परसेंट थे। हम 7.8 परसेंट से 8.2 पर आ गए हैं। आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है, वह चाइना के 5.2 परसेंट से ऊपर है। आईएमएफ का प्रोजेक्शन 6.6 परसेंट है। हम लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्च, 2026 से यह टैक्स खत्म हो रहा है और निश्चित तौर से माननीय मंत्री जी जो एक नया उपकरण लेकर आई हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से जो संकट आया हुआ है, उस संकट से यह भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देगा।

सभापति महोदया, मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से यह काम निश्चित तौर से शुरू किया गया है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसे देखें। मार्च, 2026 के बाद इस पर जो जीएसटी लगता था, वह कंपनसेशन से समाप्त होने वाला है। वर्तमान में स्वाभाविक है कि पान मसाले पर 28 परसेंट जीएसटी प्लस 135 परसेंट कंपनसेशन सेस लागू होना है। इसके हटने से कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा? मंत्री जी ने अभी स्पष्ट तौर से कहा है कि किसी एसेंशियल क्मोडिटीज पर हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। एसेंशियल क्मोडिटीज पर पूरी दुनिया ने देखा है और कल उस पर डिस्कशन भी हुआ है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। वह चार स्लेब से दो स्लेब हो गया है। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जिस तरह से जीएसटी की दर कम हुई उससे चाहे मोटर साइकिल हो, ऑटोमोबाइल हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो या कपड़े हों उनकी भारी मात्रा में बिक्री हुई। आप यकीन कीजिए कि हमारे यहां पर एक दिन में 300 मोटर साइकिल बिक गईं। 800 मोटरसाइकिल होंडा और रॉयल इनफील्ड की बिक गईं। उस समय गाड़ियां नहीं मिल रही थीं। स्वाभाविक है कि जिस समय दुनिया में क्रय शक्ति घट रही है, आज यूएसए के टैरिफ के बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत के सामानों की बिक्री हो रही है। (व्यवधान)

सभापति महोदया, आपने घंटी बजा दी है, लेकिन यह तो अभी शुरूआत है। मैं फर्स्ट स्पीकर हूँ। मैं कोई ऐसी बात भी नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात को विपक्ष भी ध्यान से सुन रहा हूँ। मेरी बात को कोई भी अपोज नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हेल्थ की सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि चाहे हम सरकार में हों या प्रतिपक्ष में हों, चूँकि आप जिम्मेदार प्रतिपक्ष हैं। यहां पर सौगत दादा बैठे हैं। वे प्रोफेसर हैं। आखिर जहां पर हम व्यक्ति की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करेंगे, वहां राजकोषीय स्थिरता भी होनी चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और जैसा मैंने कहा कि अभी जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया के सामने है, उस हिसाब से आपको माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी को बधाई देनी चाहिए कि पूरी दुनिया में क्राइसिस होने के बावजूद भी भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, राजकोषीय स्थिरता भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसको कैपेसिटी बेस्ड किया जाए।

सभापति महोदया, मुझे लगता है कि इससे काफी फायदे होंगे। अभी तक यह बात हो रही है कि इसकी क्या विशेषता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक छोटी-छोटी इकाइयां बिखरी हुई थीं, जिसका काफी स्टाफ रहता है। एक-एक, छोटी-छोटी इकाई बिल्कुल खत्म नहीं होगी, लेकिन जिसकी जितनी मशीन होगी, चाहे छोटी होगी,

माइक्रो में होगी, मीडियम में होगी तो वह अपनी मशीन देगा कि हमने इतने पाउच की मशीन लगा रखी है और इससे इतना प्रोडक्शन होता है और उतने पर ही उसको सेस देना रहेगा। पहले तो निगरानी भी कठिन थी और जब निगरानी कठिन होगी तो टैक्स की चोरी भी होगी। इससे उत्पादन छिपाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मशीन की निश्चित ही एक कैपेसिटी होती है। आपका जो कम कच्चा माल है, उच्च मूल्यवर्धन है, उससे आपको लाभ भी होगा और जो चोरी की प्रवृत्ति है, वह भी रुकेगी। पहले एक तरह से पाउच बनाकर इललीगल गाड़ियां निकल जाती थीं और उन पर टैक्स भी नहीं मिलता था। अब उनकी निगरानी करना आसान हो जाएगा और किसी भी प्रोडक्शन का यह फायदा होगा।

सभापति महोदया, इसलिए मुझे लगता है कि इससे आप भी सहमत होंगी कि वैल्यू बेस्ड और फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू के बजाय अगर कैपेसिटी बेस्ड सेस लगेगा तो अच्छा रहेगा। मशीन की क्षमता या उसकी जो पारदर्शिता है, उससे निश्चित तौर से न केवल कम सेस लगेगा, बल्कि इससे देश की जनता को भी लाभ होगा। आप इस विधेयक की मूल भावना तो देखिए कि इसकी मूल भावना क्या है?

सुप्रिया जी, इसकी मूल भावना हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी है, जिस पर आप रोजाना चिंतित रहती हैं और बात रखती हैं। उन बातों को, जो समय-समय पर आप उठाती हैं, उसके लिए अगर कोई ईयर मार्क सिस्टम बनाया जा रहा है तो अच्छा ही है।

न तो कोई डायवर्ट होगा, न कोई लैप्स होगा। इससे सिस्टम भी और अधिक पारदर्शी होगा। अपनी रेवेन्यू भी स्टेबल रहेगी और पान-मसाला उद्योग में टैक्स इवेजन की भी कमी आयेगी। बहुत-सी बातें कहनी थीं, लेकिन आपने दो बार घंटी बजा दी। मैं समझता हूँ कि यह देश के हित में है। इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। मैं इसी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदया, देश में जिस वस्तु पर उपकर लगाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, यह वही वस्तु है, चाहे वह पान-मसाला हो या गुटखा हो, इसके कारण देश के तमाम गरीब समाज के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग आज भयंकर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी महामारी का रूप ले रही है। उन्होंने बिल प्रस्तुत करते समय स्वास्थ्य सुरक्षा को इंगित किया है। मुझे आशा है कि इस उपकर से जो भी धन इकट्ठा होगा, वह निश्चित रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार, उसके नियंत्रण और उसकी रोकथाम पर खर्च होगा। माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे गंभीर विषय के साथ राष्ट्र सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले को जोड़ कर के ऐसा वातावरण बनाया है कि यदि कोई इसका विरोध करता है, तो वह राष्ट्रद्रोही होगा। यदि इसकी आलोचना नहीं की जाएगी तो गांव के रहने वाले गरीब समाज के उन लोगों के जीवन में इन उत्पादों के कारण जीवन में परेशानियां आयीं और एक आंकड़े के अनुसार केवल पूर्वांचल में प्रति वर्ष 2 लाख नये मरीज चिन्हित हो रहे हैं। लेकिन, हम उपचार के नाम पर देखें, तो केवल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भाभा सेंटर है, जिसकी क्षमता कितनी है? डायग्नोसिस सेंटर कितने हैं? करोड़ों की आबादी पर शायद एक डायग्नोसिस सेंटर इस क्षेत्र में आता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में उसका डायग्नोसिस कर सके। आप जानती हैं कि यदि समय से पहले शुरूआती दौर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण पता चल जाए, तो निश्चित रूप से उसका इलाज संभव हो सकता है। माउथ कैंसर लगातार लोगों में बढ़ रहा है। ज्यादातर गुटखा और खैनी के द्वारा वह लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहा है।

हमारे सत्ता पक्ष के सांसद साथी ने कहा कि पांच लाख रुपये का हम आयुष्मान कार्ड देकर मानव जीवन के स्वास्थ्य की सुरक्षा दे रहे हैं। माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि कैंसर का एक-एक इंजेक्शन दो-दो लाख रुपये का आता है। उसको कवर अप करने के लिए यदि माननीय मंत्री जी के इस उपकरण के माध्यम से धन एकत्रित होता है, यदि उस सेवा के क्षेत्र में यह करें तो निश्चित रूप से चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हों, वे आपके द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।

#### **14.56 hrs** (Shri Jagdambika Pal in the Chair)

सभापति जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है और रेवेन्यू इकट्ठा करने की नियत से जिस तरीके से पेय पदार्थों, मादक पेय पदार्थों के ठेके हर वर्ष 20 से 30 परसेंट बढ़ाए जाते हैं। वे ठेके गांव के गरीब समाज के अत्यंत निर्धन गांव, जिन्हें हम अति पिछड़ी जाति के कहते हैं, अनुसूचित जाति और वनवासी क्षेत्र के गांव के बीचों-बीच उस नीति के विरुद्ध खोली जाती है और यह सरकार जान-बूझकर इसलिए करती है ताकि उनके परिवार में अशांति हो, उनके बच्चे पढ़ न सकें, उनके परिवार में सोचने-समझने और आगे बढ़ने की क्षमता विकसित न हो पाए। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस नीति में भी परिवर्तन किया जाए और एक कठोर नीति बनायी जाए। संविधान में संशोधन करके एक कठोर कानून बनाया जाए कि जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो। जो लोग मिलावट करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वे केवल स्वास्थ्य से ही खिलवाड़ नहीं करते अपितु देश के राजस्व में बड़ी भारी क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उन क्षेत्रों में अति पिछड़ा समाज और हमारे आदिवासी-वनवासी क्षेत्रों के जो गांव हैं, उनके बीचों-बीच में मादक पदार्थों के ठेके खुले हुए हैं। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।

जहां तक सेस की बात आपने की है और आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है कि मशीनों की उत्पादन की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम सेस लगाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि जीएसटी के ऊपर जो अतिरिक्त कर लगता है, उसे उपकर कहा जाता है। यदि टैक्स लगाना ही है तो पूरी उत्पादन क्षमता पर जीएसटी और उपकर लगाया तो लोगों को टैक्स में चोरी करने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसा कि मेरे एक साथी सांसद ने कहा कि लोग लाखों पाउच प्रतिदिन का उत्पादन तो करते हैं लेकिन पांच हजार पाउच का उत्पादन दिखाते हैं। यदि मशीनों की उत्पादन क्षमता पर जीएसटी लगाया जाए और उस जीएसटी पर उपकर लगाया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे तत्व जो देश को करों में चूना लगाते हैं जो हमारे रेवेन्यू की चोरी करते हैं, जो मिलावट करते हैं और उस मिलावट के कारण गरीबों में भयंकर बीमारियां आती हैं, जिससे ग्रामीणों की मौत हो रही है। इसको हम रोक सकते हैं और प्रतिबंध लगा सकते हैं।

#### **15.00 hrs**

आप जानते हैं कि मादक पेय के कारण क्षेत्र के गरीबों में लूट, हत्या, बलात्कार सहित तमाम कानून व्यवस्था को खत्म करने की आदतें विकसित होती जा रही हैं। कुछ लोग चौराहे पर गुटखा खाते हैं और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चियां जब स्कूल जाती हैं, तो उनके साथ कुछ लोग चौराहों पर गलत व्यवहार करते हैं। यदि इसको सख्ती से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। टैक्स में बढ़ोतरी करके इन पर नकेल लगाई जाए तो निश्चित रूप से रेवेन्यू का भी फायदा होगा और टैक्स चोरी पर भी नकेल कसी जाएगी। इसको आपने देश की सुरक्षा से भी जोड़ा है। (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया संक्षिप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप इतना बोले हैं। मैं भी पहला ही बोलने वाला हूँ।

माननीय सभापति : जनादेश और पार्टी का भी फर्क है । कितनी संख्या इधर है और कितनी संख्या उधर है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, आप भी कभी इधर थे । हम भी कभी मौका लगेगा तो उधर आएंगे ।

माननीय सभापति : दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है और महसूस भी किया है । पहलगाम में निरीह लोगों की हत्या कर दी गई और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी देश के ऊपर अटैक किया । देश का नागरिक होने के नाते हम सब इससे गौरवान्वित होते हैं । यदि इसका पैसा देश की सुरक्षा में लगता है तो शायद ही कोई सदस्य ऐसा होगा, जो इस उप-कर का विरोध करेगा । अगर इस देश के टैक्स का पैसा ईमानदारी से निर्धारित काम पर लगे, तो किसी भी सदस्य को ऐतराज नहीं होगा । हमने देखा है कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा की सफाई में हजारों करोड़ रुपये आवंटित हुए, लेकिन उसका मात्र 15 पर्सेंट खर्च हुआ । देश में सफाई के नाम पर, शौचालय के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपये लगाए गए, उसमें मात्र 8 से 10 पर्सेंट ही धरातल पर खर्च हुआ है और बाकी पैसा खर्च होने की स्थिति में नहीं है । यह आंकड़े बता रहे हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय द्वारा बार-बार घंटी बजाई जा रही है । मैं पीठ का सम्मान करते हुए इस विधेयक का इस नाते समर्थन करता हूं, क्योंकि यह पैसा देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगाया जाएगा । इसका आश्वासन माननीय मंत्री जी जरूर सदन को देंगी कि इसका पैसा कहीं अन्य जगह नहीं लगेगा या किसी और तरीके से खर्च नहीं होगा । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं ।

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Hon. Chairperson, many people asked me why I am speaking on such a boring Bill which has nothing in it. I am speaking because it gives me an opportunity of mentioning other things which I could have mentioned in Zero Hour. But these are related to the vagaries and mood of the ... \*  
So, I speak here.

I notice that the Finance Minister is smugly sitting to pass this Bill on a day when rupee has fallen to an all-time low. It has crossed Rs. 90 per dollar. Now the economy is in such a terrible condition, but the Finance Minister has not cared to come and make a statement in the House. It is very unfortunate.

The hon. Finance Minister is speaking about the health security at a time when the citizens in Delhi are demonstrating against air pollution. The hon. Finance Minister has not announced any scheme to control air pollution.

Sir, you may be knowing that they say that living one day in Delhi is equivalent to smoking 25 cigarettes. Now, there is no plan. This air pollution goes on unchecked in Delhi. The hon. Finance Minister is trying to hindi-ise herself. This law is called she likes this - विवाद से विश्वास तक, हैल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक । यह क्या है? यह न हिंदी है और न ही अंग्रेजी है । विवाद से विश्वास तक और हैल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक, यह क्या भाषा है, फाइनेंस मिनिस्टर ही हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगी ।

Sir, this cess is on pan masala. Yes, pan masala is a big business in India. We know that, in Kanpur, some years back, they raided the premises of a pan masala manufacturer Shikhar. An amount of Rs. 196 crore was discovered during that raid. Now, we see the top film stars, like Shri Ajay Devgn, advertise Vimal Elaichi and they used to advertise Shikhar also. I do not know what incentive is being given to this.

Sir, now, if I may mention, this is a harsh law. I will come to that later. These are demerit goods. The goods, such as tobacco and pan masala are associated with serious public health risks. Pan masala causes oral cancer.

Now, the Government is so desperate for funds that it is trying to raise revenue from demerit goods. Yesterday, it did on all forms of tobacco and today, it doing on pan masala. It is so desperate for finances and for resources. For the security of the country, they have to depend on a demerit good like pan masala. This is sad and quite ridiculous, if you ask me.

Sir, the difference in this cess is that it is not on production capacity, but it is on the machines. It is on machines, that is, not on actual production or supply. Am I right? I am saying that cess should be levied on production capacity and not on actual production or supply. That is, it will be levied on machines. It will be a cess on the machine capacity.

Now, I would like to know why only pan masala? They say that pan masala is under Tariff 21069020 of the First Schedule to Customs Tariff Act, 1975. This industry is characterised by a high number of small and segmented manufacturing units, frequent changes in machine configuration with high value addition, low raw material cost and ease of transport of finished goods. It is very light.

You must have seen small packets of Shikhar or Pan Parag, pan masala. What they do is that they first bring the *supari*, then they grind it. Then, they add a particular perfume, which gives pan masala its distinctive flavour. So, it is very cheap to manufacture, but the gain is enormous. You see that in rural areas and even in urban areas, people take five-six packets of pan masala and they keep it in their mouth for a long time which may lead to oral cancer. This is why, the Finance Minister is trying to raise her revenue.

Now, the Government says that the capacity based levy could help curb evasion, ensure level playing field, stabilise market pricing and strengthen revenue integrity. Pan masala is addictive and causes public health issues at large scale and particularly for the poorer masses. Poor people either take *biris* or pan masala. The

whole question arises whether by increasing the cess, the price of the packet is increased, though the Government says that the price of pan masala will not be affected, and will only collect revenue from pan masala sources. So, there is a case where the cess will be levied and collected from taxable persons who own, operate, manage or control the machines or processes used to manufacture specified goods directly or through any authorised arrangement.

Sir, I went through the Bill thoroughly, though it is quite boring. The main thing is that the Government has been talking, shouting over the housetops that it wants to decriminalise offences in business. They had a Committee which removed imprisonment policy out of the Company Law. Now, the pan masala, cess is  
(Interruptions)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : दादा, इस बिल में वह है ।

प्रो. सौगत राय: डिक्लिमिनाइज़ कहाँ हुआ? आप लोग कहते हैं कि डिक्लिमिनाइज़ करेंगे for the ease of doing business. (Interruptions)

**HON. CHAIRPERSON :** Dada, you address the Chair.

(Interruptions)

**PROF. SOUGATA RAY :** You are imposing prison sentences. (Interruptions)

**HON. CHAIRPERSON:** You should not respond to what he is saying.

(Interruptions)

माननीय सभापति : दादा, आप निशिकान्त जी की बात का उत्तर मत दीजिए । आप सिर्फ अपनी बात कहिए ।

(व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY :** Whenever a taxable person, who was in control of the machine, fails to pay the Cess, fails to furnish the returns, fraudulently obtains refund or obstructs or prevents any officer, then there would be a fine and imprisonment for a term, which may extend to five years. (Interruptions)

**DR. NISHIKANT DUBEY :** Yes.

प्रो. सौगत राय : मैं भी यही कह रहा हूँ । आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप बिजनेस अफेंसेज़ को डिक्लिमिनाइज़ करेंगे । आप उनको जेल भेजने का इंतजाम कर रहे हैं । इसके बाद आप आय कर में भी यह प्रावधान कर देंगे । आप कहेंगे कि जो लोग आय कर नहीं भरेंगे, उनको जेल में डाल देंगे । What is the policy of the Government? Do you want to decriminalise financial offences or do

you want to criminalise them? That is a good question that needs to be answered properly.

Sir, it should be upto five years for Rs. 5 crore, three years for Rs. 2.5 crore and above, and then for Rs. 1 crore, it will be one year or whatever, plus they have introduced power of confiscation which is again draconian.

Now, the hon. Member, who spoke from the Congress Party, said that ultimately, it will lead to a severe Inspector Raj. Now, you say that in income tax, we will have faceless assessments. An Income Tax Officer need not see the taxpayer. These are belonging to the Central Board of Indirect Taxes and Customs. And now, under this law, the inspectors or the officers will have the power to inspect. People will have to give returns and if returns are not given, then, punishment is there. So, in which way is the Government going? I would like the Finance Minister to clarify it.

I understand the desperate urge of the Government to get more money. You need money. A new Parliament Building costs Rs. 20,000 crore. The Prime Ministers Seva Teerth costs hundreds of crores. ... \* And this is what you are saying.

The Government is thinking on two lines. On the one hand, you spend money like water. When there was no necessity for a new Parliament Building, you built a new Parliament Building. When there was no necessity, and the Prime Minister was living at such a big house in Race Course Road, Lok Kalyan Marg, now, you are building that. *(Interruptions)*

**HON. CHAIRPERSON:** Dada, this Parliament is under the domain of the hon. Speaker.

*(Interruptions)*

**HON. CHAIRPERSON:** I think that you are quite aware about the domain of the Parliament. The Parliament is absolutely necessary.

*(Interruptions)*

**PROF. SOUGATA RAY:** Why does the Government need so much of money? *(Interruptions)*

**HON. CHAIRPERSON:** It means that you are criticizing the Parliament, \*\*

*(Interruptions)*

**PROF. SOUGATA RAY:** The Government needs money for splurging. (*Interruptions*)  
Sir, do you understand what splurging means?

**HON. CHAIRPERSON:** I can understand.

(*Interruptions*)

**PROF. SOUGATA RAY:** They are splurging. (*Interruptions*)

माननीय सभापति : यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा । आप विषय पर आइए ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने एक्सपंज कर दिया है ।

(व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** I am totally (*Interruptions*)

माननीय सभापति : दादा, आप एक मिनट रुकिए । मैंने निशिकान्त जी को समय दिया है ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।

(व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, यह नियम 352 है । (व्यवधान) इन्होंने कई लोगों का नाम ड्रैग किया है । ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं । इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कोठी में रहते हैं, सीपीडब्ल्यूडी ने उनमें से किसी को भी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है । ये बिल्डिंग ऐसी हो गई हैं, जिनमें सुरक्षा सबसे बड़ा कारण हो गया है और उनमें कोई भी सुरक्षित नहीं है । जितने भी लोग कोठियों में रहते हैं और दादा भी जिस कोठी में रहते हैं, उनका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है । इसलिए यदि प्रधान मंत्री जी के लिए, माननीय सदस्यों के लिए या इस पार्लियामेंट के लिए यह भवन बन गया, तो वह समय की मांग थी या सरकार ने गलत पैसा खर्च कर दिया? (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी इस सदन के सदस्य हैं । (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात नोट हो गई है ।

(व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : यदि कोई भी बात उनके बारे में बोली जाएगी, तो पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा ।

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है ।

(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, आप तो देश के बारे में सोचते हैं ।

माननीय सभापति : पुरानी पार्लियामेंट की एक लाइफ टाइम थी, एक मियाद था ।

(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Now, please come to the subject and kindly conclude.

(Interruptions)

**HON. CHAIRPERSON:** Professor Sahab, kindly conclude.

प्रो. सौगत राय : आप सोचिए कि (व्यवधान) या आपकी प्रायोरिटी है मकान बनाना, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना और खर्चा ही खर्चा करना । इसके लिए सिगरेट, बीड़ी, चेरूट और पान मसाला से खर्चा निकालो तथा उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून लाओ ।

This is a draconian law. You want to earn revenue. You make an arrangement like the Income Tax Faceless Assessment. You can make an easy assessment of the tax to be paid by the taxable person. But you are not doing it. Rather you are raising money and saying, You must pay us money from *pan masala* otherwise we will send you to jail and otherwise we will confiscate your machines, etc..

Then, you spoke about it but I could not follow all that you said. Nirmala ji also spoke in Hindi. So, I could not follow all that she said because we are Bengalis and we do not follow so much of Hindi. So, the problem remained (Interruptions)

**HON. CHAIRPERSON:** It is already on the website of the Parliament. You can go through it line by line.

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति जी, इसीलिए बंगाल डिवाइड हो गया । (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, हम तो बंगाली हैं और बंगाली ही रहेंगे । (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बंगाली हैं, लेकिन आप हिंदी के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY :** They are making a South Indian lady to speak in Hindi so that she can familiarize herself.

**HON. CHAIRPERSON:** I have seen you.

(Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी ।

**THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** I may speak in Hindi, Tamil, Telugu and English. How does it matter to the hon. MP? The arrangements have been made by the hon. Speaker, and he can get a translation in any language that he desires. What is he saying - that she spoke in Hindi, therefore he cannot understand?

The available facility and technology are being used; he can understand it in any language he wants. Since he has not read the Bill thoroughly and wants to divert from the topic, he is bringing up all these things here. I take objection, and it should be in the record.

**HON. CHAIRPERSON (Shri Jagdambika Pal):** Mr. Sougata Roy ji, you are quite aware that the translation facility is available. What the hon. Finance Minister has said - the translation facility is already available - a Member can speak in any language; it will be translated immediately. Yesterday, I think, the hon. Speaker had mentioned about this. आपने उनकी बात पर कल मेज भी बजाई थी । इसलिए, अब आप अपनी बात खत्म कीजिए ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है ।

सौगत राय जी - आप बोलिए और जल्दी ही अपनी बात कृपया समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मैं इस बिल पर अपनी बात कंकलूड कर रहा हूँ । You have laid down an elaborate and separate mechanism regarding realising cess on Pan Masala.

First, you have a Commissioner; then the Commissioner allows for an appeal. Thereafter, you go to the Appellate, then even to the High Court. They have the power to confiscate machines, the power to arrest, and strangely, in the case of a non-cognizable and bailable offence, the proper officer not below the rank of Assistant Commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer-in-charge of a police station. सेंट्रल एक्साइज़ डिपार्टमेंट के ऑफिसर को आईसी - थाने का ऑफिसर इंचार्ज बना दिया गया । I do not know what the logic is in this Law. It is constantly mentioned in Amit Shahs law, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इसका एप्लीकेशन किया जाएगा । ऐसे नहीं होता है । हमारे देश में इवेज़न ज्यादा है । आप इस इवेज़न को रिलाइज़ करें और उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मेकेनिज़्म बनाएं । You are giving all the powers from Assistant Commissioner to the Commissioner to realise cess on pan masala.

Therefore, I think that this Bill should be sent to a Select Committee of Parliament to look into this.

**DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):**

Thank you, Sir. I rise here to oppose the Health Security se National Security Cess Bill, 2025

At the very outset, I would like to ask Madam Finance Minister a very simple yet profound question: Why is the title of an English legislation framed as Health Security se National Security? Why is this linguistic hybrid? Why is there this attempt to inject a certain cultural or linguistic flavour into what should be a neutral statutory title? This is not mere pedantry!

As our hon. Chief minister, M.K. Stalin, has rightly pointed out, language is not merely a tool for communication; it is a question of identity, dignity and democratic participation. So, a law passed by Parliament must be accessible, neutral and linguistically equitable.

Therefore, I submit that the word Se be replaced with For. Imposing any cess or surcharge is like slitting the throat of federalism. Why I used this phrase, let me explain.

The funds collected through cess and surcharge go entirely to the Union Government without any distribution to the States. The Union Government eyes Rs. 6 lakh crore from cess and surcharge in the financial year 2026, which is up to 10 per cent more than in the financial year 2025.

Most of the States protest against the shrinking share of this divisible pool of tax revenues, not reaching them. The Health Security Se National Security Cess Bill, 2025 now seeks to levy a new cess on machines or process used in the manufacture of pan masala and other notified goods.

Sir, I would like to ask in this august House, through you, that the Union Government can concentrate on the reduction of the sale of harmful products, by creating an awareness amidst its consumers to reduce the use of such consumer products which are harmful to health. Instead of doing that, imposing a cess on the manufacturing machines and the processes directly hits the small traders especially the MSMEs. Also, it is neither acceptable on the general terms nor on the ethical terms.

I would like to explain why I used the word ethical. Sir, the quantum of unused cess and surcharge funds amount to six lakh crore rupees since 2019. That is not totally spent by the Union Government. While that is the scenario, why to bring a new bill, again a cess bill now, Sir? That is my question. This Bill states that the cess is meant to augment the resources for meeting security expenditure on national security and for public health. In simple terms, the Government says that it will use proceeds from cess on tobacco and pan masala to boost health and national security. This is really a thing to worry about. Let us remember the words of Mahatma Gandhi who said means are as important as ends. You are collecting the cess and to which direction you are trying to divert the funds is a very important question.

While the BJP professes that India is marching towards global leadership under the leadership of our hon. Prime Minister as *Vishwaguru*, based on the ideals of dharma, is it not very ironical to divert these funds, the cess, heavily laid on those manufacturing processes which are harmful products? Is it not really ironical, Sir?

Sir, let me come directly to the political heart of the Bill. This Government has been adopting a strategy for the past ten years to convert taxation into cesses and surcharges because cesses do not go into the divisible pool and are not shared with the States. According to the Fifteenth Finance Commissions Report, let me make it clear here that the share of cesses and surcharges has increased from 10.4 per cent of gross tax revenue in 2011-12 to over 26 per cent by 2024. This means States lose thousands of crores annually and that is why, I call it as sliting the throat of federalism.

Sir, Dr. B. R. Ambedkar warned us in the Constituent Assembly that federalism depends on the diffusion of power, not in its concentration in one centre. But what is happening now? It is a *vice-versa* of it because this Bill is another step in the systematic concentration of fiscal power, all powers concentrating only in the conglomeration of the Union Government.

Sir, Tamil Nadu has consistently demanded through every pre-Budget memorandum that the Union reduces its reliance on cesses, but instead of correcting its fiscal imbalance, this Bill deepens it.

Sir, let me say how does it do it. This Bill imposes a lump sum cess on machines and manufacturing processes especially those used for pan masala. Let me be very clear Sir. Pan masala and usage of it is harmful for health. It is very injurious for

health and States should take accountability in regulating that. There is no doubt about it but the method chosen here through the Bill is deeply flawed.

And let me also say why I make that statement because there is a nuanced difference. The Bill taxes machines for what they can produce, not what they actually produce. Even idle machines attract the same cess and getting any reduction is complicated. This feels less like a tax but more like an unnecessary burden.

So, I call it as cessification of governance, not justification of governance. I repeat, I call this as cessification of governance, not justification of governance. This Government's favourite economic formula has three components, headline plus cess plus no accountability. We saw this with Swachh Bharat Cess, Krishi Kalyan Cess, Health and Education Cess, Road and Infrastructure Cess, Social Welfare Surcharge, and now this Bill. So, I repeat, this is cessification of governance, not justification. Even Madam Finance Minister, in most of her speeches, has repeatedly acknowledged that cess revenues have risen sharply, and I would like the House to make a note of it also.

Again, our Dr. Ambedkar had warned us: Good intentions are of no value if the instruments are flawed. This Bill is precisely that, good intentions strapped to a flawed instrument. Sir, the first casualty of this Bill is the MSME units. It hits MSMEs the hardest. Tamil Nadu has under 10 lakh MSMEs. They are in food processing, packaging and allied sectors. They will be the worst affected sectors if this Bill come into existence. Sir, a government should tax its people with the delicacy of an expert hairdresser, not with the roughness or the power of a butcher. This Bill, unfortunately, opts for the butcher's knife.

Sir, there are few other worrisome observations. Here is power without judicial control in this particular Bill. It contains search, seizure, arrest powers, machine sealing, confiscation and an entire inspection regime without adequate judicial safeguards as has been rightly pointed out by our senior colleague *dada* that it will become an *inspector raj*. Tamil Nadu already has first-hand experience of how easily enforcement powers can be misused. We want budget, but, it can be misused to intimidate small manufacturers. The Bill hands sweeping discretionary powers to officers without sufficient checks, which is a matter of grave concern.

Sir, the Bill says that the cess is for health security and national security. These are national priorities; there is no doubt about it. But nowhere in the Bill, not in a single

line, there is any mention of a utilisation framework, spending formula, transparency mechanism, a commitment to share funds with the states. That is why, we say that this Bill to be not actually brought into law immediately, but it has to be considered to be sent to the Select Committee.

Sir, after the GST compensation ended in June 2022, states like Tamil Nadu have repeatedly sought predictable fiscal support, which has been denied. Let me remind the House, as per the C&AG reports, nearly Rs. 1.45 lakh crore of various cess collections over the years remained unspent. If this Government has not spent existing Health and Education Cess funds, why should we thrust a new one? Sir, we have to remember Pandit Jawaharlal Nehru, who told the Lok Sabha in 1957: Taxation must never become a substitute for planning or a cloak for unplanned ambition. This Bill feels exactly like that.

Sir, again, Clause 6 of the Bill allows the Centre to double the cess in special circumstances. I would like to know through you, from the Madam Finance Minister, what are those circumstances. Who defines them? Where is the sunset clause? Where is the parliamentary control? This is a taxation by Executive discretion, not by democratic debate. Even, the British did not allow the Executive to tax without parliamentary control after 1689. But, here we are in 2025, giving the Union Government a blank cheque to levy and raise taxes. Sir, I am so proud, under the leadership of our Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, Tamil Nadu has been ranking high on all its health fronts. Tamil Nadu's infant mortality rate is 13, among the lowest in India. Institutional deliveries are 99 per cent, far above the national average. Tamil Nadu's public health expenditure is higher as a share of GSDP than most states. All this was achieved by our Chief Minister, not from the Central cesses but purely because of his decentralised planning, his Dravidian model governance based on the social justice policies and strong state autonomy. Sir, true national progress is possible only when the Union respects the rights of the States, and works with them as equals, not as their subordinates.

Sir, one important criticism has been raised by Dr. Arvind Panagariya, the Chairman of the 16<sup>th</sup> Finance Commission, I would like to make a mention of that in this august House.

He recently called the issue of the Centres increasing reliance on cess and surcharges a complicated issue. Also, a conclave of the hon. Finance Minister in the context of the 16<sup>th</sup> Finance Commission has expressed concerns over the growing imbalances in Centre-State fiscal relations. They plead with the Union Government

to stop penalizing those States which perform well. A very important reminder to the hon. Finance Minister is that in their own BJP-ruled Odisha, the Odisha Government has demanded that the cess and surcharges be brought to the divisible pool so that the State can get the share.

**HON. CHAIRPERSON:** Kindly conclude.

**DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN :** Sir, I hope that the Union Government will at least realise that when it is coming from their own ruling State, it is a wake-up call.

I have a few questions. Why is there cess and not tax? Why are there no statutory rules for utilisation? How much of the cess will actually be used for creating health infrastructure? Why is there no State representation in monitoring mechanism? Why are the officers empowered with mere police powers and without judicial oversight? Why is there tax on machine capacity instead of actual production? How much revenue does the Union Government expect to generate annually? How will this cess interact with the GST regime principles?

**HON. CHAIRPERSON:** Kindly conclude.

**DR. T. SUMATHY ALIASTHAMIZHACHI THANGAPANDIAN:** Sir, I am closing. I demand that 60 per cent of cess proceeds be shared with the States on the basis of formula-based transparent allocation, replace lumpsum capacity-based slabs with proportionate output-based taxation to protect MSMEs, introduce mandatory C&AG audited utilisation reports to be tabled annually in Parliament, and include a sunset clause requiring Parliament approval in every two years.

Sir, if the Government accepts these amendments, Tamil Nadu is prepared to work constructively. Tamil Nadu has been suffering a lot pleading with the Union Government to release the funds for all the Samagra Shiksha Abhiyan, and MGNREGA. The Union Government is turning a deaf ear to all the requests which is again a slit on the throat of federalism. I will end my speech with a quote from Thanthai Periyar:

Power should never be untied from accountable responsibility. If it is done so, that is the most dangerous thing that would happen on Earth.

If this is going to continue, the Tamil Nadu people will reply befittingly in the upcoming elections.

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे द हेल्थ सिक् योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पर बोलने का मौका दिया ।

इस विधेयक में पब्लिक हेल्थ के साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटी के टारगेटेड यूटिलाइजेशन को सक्षम बनाने के लिए सेस लगाने का प्रस्ताव है । इस विधेयक में यह प्रपोज किया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड सामग्री जैसे कि पान मसाला आदि तैयार करने वाली मशीन मेनुअली या हाइब्रिड प्रक्रिया पर सेस लगे, जिससे पब्लिक हेल्थ तथा नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिले । यह बिल राष्ट्र को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए स्वतंत्र, स् थाई और टारगेटेड रेवेन्यू सोर्स तैयार करने की एक दूरदर्शी पहल है ।

यह राजस्व संग्रह ही नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण भी है । यह सेस उसी दिशा में एक व्यावहारिक कदम है । जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कैंसर निरोधक, गैरसंचारी रोग और भविष्य की स्वास्थ्य खतरों से निपटने की क्षमता बढ़े । नेशनल सिक्योरिटी, सीमाओं, रक्षा क्षमताओं और रणनीति अवसंरचना के लिए संसाधन सुनिश्चित किया जाए । इससे सेस से मिलने वाली राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी और अनुमोदन के बाद हेल्थ एंड सिक्योरिटी पर खर्च होगी ।

महोदय, यह पान-मसाला और तम्बाकू जैसे मादक पदार्थों aerated drinks, महंगी कारें, नौकाओं और निजी विमानों जैसे लक्जरी उत्पादों पर 40 प्रतिशत की निष्पक्षता के साथ राजस्व संतुलन निश्चित करता है । वर्तमान विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी कम्पनसेशन सेस हटाने के बाद टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला के प्राइसेज में गिरावट न हो ।

महोदय, इस विधेयक का सेक्शन-4 का सबसेक्शन-1, लेवी और कलेक्शन ऑफ सेस की बात करता है । इससे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, वह राज्यों के साथ शेयर होगा । इस बिल पर मैं अपनी बात रखते हुए यह निवेदन करता हूँ कि बिहार जैसे राज्य के शेयर में इजाफा किया जाए । सेस से जो कलेक्शन होगा, उसे पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ-साथ राज्य के लोगों का भी उत्थान होगा और राज्य को मजबूती मिलेगी ।

महोदय, इस विधेयक के सेक्शन-9 के सबसेक्शन-1 में यह प्रावधान है कि टैक्स देने वाला आदमी डिक्लैरेशन भरेगा कि कितनी मशीनें लगी हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, मिनिमम रेटेड सामग्री क्या है? वेट ऑफ पैकिंग, नेचर ऑफ पैकिंग तथा टेक्निकल और ऑपरेशनल पार्टिकुलर की जानकारी देनी होगी, ताकि सेस का कैलकुलेशन आसानी से हो सके । मेरा इस सेक्शन में सुझाव है कि इसके लिए मॉनिटरिंग एवं वेरिफिकेशन प्रोसिजर सरल एवं सुगम बनाना चाहिए ।

महोदय, वर्तमान विधेयक का सेक्शन-10 पेमेंट ऑफ सेस एंड रिटर्न की बात करता है लेकिन सेक्शन-4 के तहत सेस का कलेक्शन का समय महीने की 7 तारीख तक दिया गया है । इसमें मेरा सुझाव है कि यदि इसको महीने की 10 तारीख तक कर दिया जाय तो टैक्सेबल पर्सन को सेस जमा करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा तथा सेस आसानी से जमा भी हो सकेगा ।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बिल में प्रोविजन है कि सेस, जीएसटी एवं बाकी अन्य टैक्स के बावजूद भी लगाया जा सकता है जिसका आधार होगा मशीन कैपिसिटी न कि एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट । मेरा सुझाव है कि सेस कलेक्शन का उद्देश्य टारगेटेड स्पेन्डिंग, पब्लिक हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी पर होना चाहिए

। इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। सिन गुड्स यानी डिमेरिट गुड्स पर एक परमानेंट टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी होगा।

महोदय, देश में टोबैको प्रोडक्ट का गुप्त रूप से व्यापार होता है। इससे रेवेन्यू के लॉस का अनुमान लगाना आसान नहीं है। देश के वर्तमान वित्त वर्ष में 104.38 करोड़ रुपए के लॉस के 61 केसेज सामने आए हैं, जिनमें गुटखा, Chewing Tobacco, सिगरेट, पान मसाला आदि शामिल थे।

महोदय, इस विधेयक का सेक्शन-17 सेस पेमेंट में डिले होने पर इंटेस्ट पेमेंट की बात करता है, जो कि 15 प्रतिशत पर एनम है। यह ड्यू डेट के बाद से प्रभावी हो जाएगा इसका उद्देश्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसमें मेरा सुझाव यह है कि तम्बाकू और पान मसाला मुआवजा सेस तब तक जारी रहे, जब तक केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान न हो।

महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार में 1,73,030 करोड़ रुपए राज्य के विकास के लिए रिलीज किये गये हैं। बिहार राज्य के टैक्स डेवल्यूशन के लिए 17403.36 करोड़ रिलीज किये गये हैं। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूँ कि बिहार के सभी सैक्टर्स की बकाया राशि यथाशीघ्र रिलीज की जाए ताकि यहां और विकास का कार्य हो सके। राष्ट्र तभी मजबूत होगा, जब हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

**SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR):** Thank you, hon. Chairperson. I rise today to express my views on the Health Security Se National Security Bill, 2025, which is a landmark legislation introduced by our dynamic and visionary hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji and our esteemed Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman.

At the outset, I wholeheartedly commend the Modi Government for again placing public health, fiscal prudence and national security at the centre of national policy making.

The Bill is not just a financial reform, it is a moral commitment to safeguard the health of our citizens and strengthen the security architecture of our nation. For years, India has struggled with the devastating social and health impact of tobacco, pan masala, gutka and similar harmful products. The economic burden on our health system is enormous.

The NDA Government recognised this challenge early and has implemented several deterrent measures. Now, with the phase-out of GST compensation cess, the Government has taken a farsighted decision to impose the national security cess, ensuring continuity of revenue from sin goods, protection of public health, financial stability for national security infrastructure and a strong deterrent against

harmful consumption. This step reflects strong governance, long-term thinking and the courage to take decisions that put the nation above politics.

The Bill aligns seamlessly with the Government's sustained commitment to public health. Over the last decade, the Government's share in total health expenditure has risen from 29 per cent in 2014 to 48 per cent in Financial Year 2022, a significant increase in public investment. The transformative initiatives such as Ayushman Bharat PM-JAY, which cover nearly 55 crore individuals and have established around 1.7 lakh functional health and wellness centres, reflect the Government's focus on universal and equitable health care by securing dedicated funds through this Bill. We further strengthen the foundation of a healthier and safer India.

However, despite these important strides, the nation continues to grapple with serious health challenges. Anaemia remains widespread, affecting more than two-thirds of children and nearly 60 per cent of adolescent girls, while three out of four women still have low dietary iron intake.

Equally worrying, hospital data from 2020-23 show that half of the heart attack patients in India are under the age of 40, pointing to a sharp rise in early-onset cardiovascular diseases. We are also witnessing a rapid increase in overweight and obesity among children and adults alike, signalling an emerging nationwide health crisis. Chronic non-communicable diseases like heart disease, diabetes, respiratory ailments and cancer now account for nearly two-thirds of deaths in India, up from less than 40 per cent in 1990. It is in this broader context that cess-based funding has become even more crucial.

We must also recognise that health challenges vary significantly across States. Andhra Pradesh, for instance, has the second-highest HIV burden in the country. With 2.75 lakh cases, nearly 59 per cent of women in the State are anaemic. Communicable, maternal, neo-natal and nutritional diseases contribute over 25 per cent of the State's total disease burden. These realities highlight the need for targeted, state-specific interventions backed by adequate resources.

Apart from this, there are some concerns about this Bill. I hope the hon. Finance Minister will clarify them in the House. One of the major concerns is that the cess proceeds are not shared with the States. So, there is opposition from some quarters. States or political parties may argue that such revenue centralisation harms the federal fiscal structure of India. Moreover, calculating cess based on

machines and processes rather than output might be complex, and may increase compliance burden on small manufacturers or units.

If the Government uses the cess for broader national security spending, there might be less transparency about how much goes to health versus security, which may raise accountability concerns.

With these words, I support this Bill and commend the Finance Minister for introducing this Bill for health as well as national security. Thank you very much.

**SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM):** Honble Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Health Security Se National Security Cess Bill, 2025. While discussing this bill in this august house, I am completely confused about Governments Stand. Whether this Government is really serious about peoples health or only concerned about revenue generation? Sir, as you know, Paan Masala, Gutkha, Khaini is the prime and foremost cause of mouth cancer in our country. The habit of chewing tobacco or Gutkha is very dangerous. It has ruined the lives of millions of youths and their families too. In rural areas, urban area, in school and colleges, in factories, we can find everybody chewing this. Nowadays, even women are also consuming it. It is the main cause of cancer. People are spending lakhs of rupees on treatment. This is also an additional burden on public health system. Millions of families have already been affected due to this habit of Gutkha chewing. But, the Government is quite indifferent to it.

Sir, I belong to Vidarbha region of Maharashtra. In this area, Everybody consumes Nagpuri Kharra which is a deadly combination of tobacco and other harmful ingredients. Out of 10, around 4 persons regularly chew this Nagpuri Kharra. This is a very alarming situation, because all age group people and women too, are consuming it on daily and regular basis.

They are not consuming Kharra but a poison. Due to this habit of chewing Kharra, Gutkha and Paan Masala, my region Vidarbha has become mouth cancer capital of India. There are many examples in Yavatmal-Washim area, where even the small children fall prey to mouth cancer. This is the shocking reality of Vidarbha region.

Sir, the financial losses are also increasing due to these tobacco consumers. They spend Rs. 100-150 daily for this harmful habit. The labourers and workers spend their hard earned money on purchasing this Kharra. They do not have sufficient money

for health and education, but they are spending their wages for it. This is not only a financial loss, but it badly affects their overall livelihood.

Sir, if this Government is really serious about providing health security, it would have banned these Gutkha and Tobacco in our country. This is a harsh reality, but the Government has turned its blind eye towards it. If these tobacco products are banned, it would be beneficial for their health. But, at the same time, Governments revenue would be reduced. Hence, Government is not ready to ban it because it is more concerned about the revenue generation than peoples health. Government is not ready to ban it but imposing more taxes on these products to generate maximum revenue.

Through this bill, the Government proposes to impose more cess on tobacco products to use this money for public health. Why is it not banning these harmful products? Government is playing dual game with us by not banning tobacco products and generating revenue out of it., This is very unfortunate. Sir, this Government and tobacco factory owners are responsible for the loss of lives and the problems have arisen due to it in those families. This Government is focusing only on tax collection and not on public health issues. Sir, there is an urgent need to ban tobacco products. This bill aims at revenue generation not citizens health. I demand that the tobacco products should be banned completely in our country.

**SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** Sir, thank you very much.

Sir, I want to speak on this Bill today. Thank you for giving me the permission to speak on the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025.

I appreciate the reason for bringing the Bill. I will not say that I object to the Bill. I would like to support the Bill because I am not taking away from the intention of the Government. We had a very detailed discussion yesterday. Yesterday, in a reply, she, at length, was very practical and there was a very pragmatic approach of the hon. Finance Minister of the challenges of tobacco and what the position is today in the larger interests of society. But my first question to the hon. Finance Minister is this: Why is this in the form of cess? Just yesterday in a reply, Sir, you were present there, she talked about taxation at length and we have no objection to any form of taxation. अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे? You are happy to pay tax on these demerit goods. But why in the form of cess, specifically for this?

I hope she indulges us in a clarification. My very learned friend who spoke extraordinarily well today is Sumathy. She also asked the same question, that is, if

the cess ever has to be doubled, they do not need to bring it back to the Parliament. We are not against it. If you want to increase taxes on any good which is not good for society at large, we will support any such thing. We will support the Government. जीएसटी का अच्छा बिल आप लाये, हम आपके साथ खड़े रहे । ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम आपके साथ खड़े रहे । आप देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे, हम पूरी ताकत से, हमारी राजनीति, हमारे जो भी डिफरेंसेज हैं, हम उन्हें छोड़कर आपके साथ देश हित के लिए खड़े रहेंगे । अगर यह बिल देश के हित के लिए है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूँ कि सेस क्यों? अगर आपको डबल करना है, आप ट्रिपल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाएंगे? Then, what is the value and the sanctity of this democracy? सर, हम चुनकर क्यों आते हैं? आज आपने भी अच्छी चर्चा की । आज आपका बहुत लंबा भाषण हुआ । मैं उस पर भी आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन दूंगी । आपका भी बहुत अच्छा भाषण हुआ है और हमेशा ही आपका अच्छा भाषण होता है । I would like to ask her two or three important questions. During the last ten years, in the hon. Prime Minister Modi regime or era, the cesses have gone from ten per cent to 25 per cent. I still remember. I miss Arun Jaitley ji. अरुण जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब हमेशा उनके मुँह से एक अच्छा शब्द कोआपरेटिव फेडरलिज्म आता था । वे हमेशा कोआपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे कि सबको साथ लेकर चलेंगे, हर राज्य को उसका हक देंगे और जो राज्य पिछड़ा होगा, उसे आगे लाने के लिए सरकार जो कर सकती है, वह करेगी । आज 5-7 साल से मैं इस सरकार को देख रही हूँ । इस सरकार की नीयत थोड़ी सी, मुझे नीयत नहीं बोलना चाहिए, शायद पॉलिसी बोलना चाहिए, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है कि सेस पर आप ज्यादा जा रहे हैं । हमारा ऑब्जेक्शन इसे बढ़ाने के लिए नहीं है । हम सबका ऑब्जेक्शन है कि आप सेस मत कीजिए, आप टैक्स कीजिए, उसे हमारे साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर राज्य को पैसे की जरूरत है ।

### **16.00 hrs**

ज्यादा से ज्यादा जगह आप ही की डबल इंजन सरकार है, फिर दिक्कत क्या है, सेस क्यों है? आप देश में ज्यादातर डबल इंजन सरकार चला रहे हैं, तो राज्यों को देने में क्या दिक्कत है । There is another thing on which I want to seek a clarification. (Interruptions) I am not yielding. (Interruptions) What is the split between health and national security? आप हेल्थ के लिए दे रहे हैं, यह अच्छी बात है । देश के आरोग्य के लिए आपकी सरकार कुछ कर रही है, हम उसका स्वागत करेंगे । नेशनल सिक्योरिटी में तो विपक्ष हमेशा सरकार के साथ ही रहेगा । जैसे मैंने पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम आपके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन क्या यह स्पिलिट होगा? इसके बारे में भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है । यदि उनकी रिप्लाय में यह कह सकें तो अच्छी बात होगी । मैं पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन यह बिजनेस एक हाई प्रोफिट मार्जिन का बिजनेस है । इसमें टैक्स इवेशन हो सकता है, यह मैं मानती हूँ । यह पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत खराब है । इसके बारे में प्रोफेसर रॉय ने भी कहा है । मेरी सरकार से बड़ी विनम्रता से विनती है कि हर एक को जेल में डालने से प्रश्न हल नहीं होता है ।

सर, इनकम टैक्स हो या इनसॉल्वेंसी हो, हम सब मिलकर काम करते हैं । हमारी कोशिश रही है कि अगर आप आदमी को जेल में डालेंगे, तो उससे क्या हल होगा? यह जो इंसपेक्टर राज बढ़ रहा है, उससे हैरेसमेंट ही होगा । चाहे सच हो या झूठ हो, लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, मैं तो इस बिजनेस के खिलाफ हूँ । मैं तो चाहती हूँ कि पान मसाला और गुटखा इस देश से बैन हो, लेकिन यह हो नहीं सकता, मैं यह जानती हूँ । हमने महाराष्ट्र में गुटखा बैन किया है । वहां पर यह इतना ब्लैक में चलता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ । मैं कल उसके

ऊपर बोल चुकी हूँ। मैं किसी भी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, न ही होम मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल रही हूँ। आप किसी भी राज्य में कॉलेज के पास जाइए, पार्लियामेंट में इतना अच्छा रूल बनाया गया कि किसी भी कॉलेज या स्कूल के पास में गुटखा या तंबाकू नहीं मिल सकता, लेकिन हर कॉलेज और स्कूल के पास यह मिलता है। यह बहुत दुख की बात है। यह हर राज्य में हो रहा है। मैं यह किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, जो सच है, वही बोल रही हूँ। हम सब के घरों में बच्चे हैं। हम इसमें कैसे बदलाव लाएंगे, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।

सर, मैं सेस के बारे में सीएंडएजी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी जो पेपर में आयी है। मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कल भी कह रही थी और हमेशा कहती हूँ। केंद्र की सीएंडएजी की एक रिपोर्ट है, जो पेपर में आयी थी। मैं उसे टेबल भी कर सकती हूँ, नहीं तो निशिकान्त जी नाराज हो जाएंगे। आप भी आज मुझ पर आईएमएस की रिपोर्ट के लिए नाराज हुए, लेकिन सर, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ, उसी से आपको बोलना चाहती हूँ कि जो हेल्थ सेस है और एजुकेशन सेस है, मैं बहुत बार बजट पर भी बोली हूँ, मैंने बहुत बार इनसे पूछा है कि आप जो यह सेस कलेक्ट करते हैं, क्या वह पैसा सचमुच वहां जाता है?

सर, मैं विपक्ष में हूँ केवल इसीलिए टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सीएंडएजी रिपोर्ट कह रही है कि health cess, education cess, inventor education and protection fund, and monetization of national highway fund, यह जो पैसा कलेक्ट हुआ है और जिसके लिए कलेक्ट हुआ है, उसमें पूरा खर्च नहीं हुआ है। यह सीएंडएजी की रिपोर्ट है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से जवाब मांग रही हूँ कि उसका क्या हुआ। उसका पैसा कहां गया? अगर सी एंड एजी की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं गया, तो पैसा गया कहां? हम तो सरकार पर पूरा विश्वास करके टैक्स भरते हैं। आप जिसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं।

सर, आप जमीन से जुड़े हुए नेता है, आपको तो पता ही है कि आज हेल्थ केयर की क्या हालत है। आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाइए, आपने आयुष्मान भारत के बारे में बोला, यह अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आज भी आप जाओ, तो जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, वह बेचारा दवाई भी नहीं खरीद पा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन जितना करना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति : हमने साइंस एंड टेक्नॉलोजी की कमेटी के साथ विजिट किया है। वहां पर काफी सजेशन दिया है।

श्रीमती सुप्रिया सुले: जी सर। यह मैं कह रही हूँ कि कोशिश हो रही है।

सर, एक दूसरा इश्यू आया है, जो पेपर में आया था कि The Centre has not transferred Rs. 3.6 lakh crore of cess collections. This was a C&AG Report on the oil industry. मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रही हूँ। यह ऑयल इंडस्ट्री के लिए है। सर, सबसे ज्यादा पैसा ऑयल इंडस्ट्री में जाता है। हमारा पैसा बाहर जा रहा है। यदि ऑयल इंडस्ट्री के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये हो रहा है, तो वह पैसा क्यों नहीं गया? यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह सीएंडएजी की रिपोर्ट कह रही है। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रही हूँ। आप 3.6 लाख करोड़ रुपये ऑयल इंडस्ट्री के बचा लेते। सर, आप सोचिए सरकार का क्या होता। आप इस बारे में थोड़ा सोचिए।

**HON. CHAIRPERSON:** Kindly conclude now. There is a long list of speakers with me.

*(Interruptions)*

श्रीमती सुप्रिया सुले: सर, दो-तीन चीजे हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है।

आप भी उस पर बहुत सारी बातें बोले कि एम्स हो रहे हैं। अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर एम्स बढ़ रहे हैं तो क्या वहाँ काम करने के लिए टेक्निकल लोग हैं?

**HON. CHAIRPERSON:** You already have raised your concerns. Your point is well taken.

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** I wish to raise two very short points. Even he was talking about the economy. I am very happy to hear that. देश का भला हो तो हम सबके लिए अच्छा है। But I want to ask two or three very small points to this Government just for seeking clarification. प्रोफसर सौगत रॉय जी ने भी आज कहा कि हम 90 रुपये पर पहुँच गए हैं, लेकिन सिर्फ दो छोटे मुद्दे मैं देश के क्लैरिफिकेशंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रही हूँ कि The data of Reserve Bank of India shows that the net Foreign Direct Investment remained negative at USD 2.4 billion in September and portfolio flows have been volatile. Foreign investors withdrew Rs. 23,885 crore in September, Rs. 34,000 crore in August and Rs. 17,000 crore in July. October briefly saw a net inflow of Rs. 14,000 crore, but selling resumed soon, resulting in a net outflow of Rs. 3,765 crore from Indian equity. सर, आप कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है, यह अच्छी बात है, आगे जाना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो वोलेटाइल दुनिया में हो रहा है। आप टैरिफ की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें। But the data is not showing that. I shall be grateful if the hon. Finance Minister clarifies to us what the real global scenario is. Let us not only run after numbers.

**HON. CHAIRPERSON:** Kindly conclude.

श्रीमती सुप्रिया सुले: जो वास्तव में है कि आज महंगाई बढ़ रही है, आप अगर घर जाएं और भाभी जी से पूछेंगे, तो भाभी जी बता देंगी कि कितनी महंगाई है। आप इस बारे में जरूर सोचिए। I would appreciate if she clarifies the cess. We are happy to support the Bill, but this cess has to be spent for what it is collected.

**HON. CHAIRPERSON:** She clarified on your points in great detail yesterday.

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** No, but we expect a clarification from her. People are objecting and want to send it to a Select Committee. We do not want to send it to Select Committee if she clarifies these points.

Thank you.

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐतिहासिक विधेयक, 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025' पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं अपनी पार्टी शिवसेना और हमारे लोकप्रिय नेता, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और घट नेता श्री डॉ. श्रीकांत शिंदे जी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए, क्योंकि इस बिल का शीर्षक है, 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, जो सिर्फ, एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की विचारधारा है। इसका अर्थ एक स्वस्थ भारत, एक सुरक्षित भारत और एक विकसित भारत है।

"नशा बेचने वालों का अब हिसाब होगा,

सेहत और सरहद-दोनों का किताब होगा।"

हमने वह दौर देखा है, जब कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। उस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न केवल 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से दुनिया को जीवनदान दिया, बल्कि अपने नागरिकों को भी सुरक्षित रखा। आज भारत विश्व की सबसे बढ़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह विकास तभी संभव है, जब हमारी आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) मजबूत हो। मुझे गर्व है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा आज अभेद्य किले जैसी है। उनके प्रयासों से अनुच्छेद 370 का खात्मा करके हमने कश्मीर को भारत का अंग बनाया है। वर्ष 2019 से पहले के दौर के मुकाबले आज कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं।

महोदय, जब भी सरकार देश के विकास के लिए कोई 'सेस' (Cess) लाती है, तो विपक्ष के साथियों के पेट में दर्द शुरू होता है। ये पूछते हैं कि सेस का पैसा कहां जाता है? ये सेस वही सजा है, जो वक्त ने लिखी, अब देश की एक-एक सांस सुरक्षित होगी। मैं आज इनकी आंखों से झूठ का पर्दा हटाना चाहता हूँ। जब आप अपने घर से निकलते हैं और चमचमाते हुए वर्ल्ड क्लास हाईवेज़ देखते हैं, जब आप वंदे भारत ट्रेन्स देखते हैं, जब आप समुद्र पर बने अटल सेतु और मेट्रो देखते हैं, तो याद रखिए, यह उसी 'सेस' का पैसा है जो जनता की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है।

इनको कश्मीर की डल झील तो दिखती है, लेकिन वहां जाने के लिए, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, वह नहीं दिखता है। आज कश्मीर में ट्रेन दौड़ रही है। तमिलनाडु में 2,000 मेगावाट का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो देश को ऊर्जा दे रहा है, वह इसी फंड से तैयार हो रहा है।

विपक्ष को लगता है कि, जनता को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन आंकड़े, झूठ नहीं बोलते हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 19.4 लाख करोड़ रुपये का सेस इकट्ठा किया है। इसमें से 31% राज्यों को जीएसटी नुकसान

की भरपाई के लिए दिया गया। 30% पैसा सीधे सड़क और बुनियादी ढांचे पर खर्च हुआ। 16% पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगा, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ रहा है और मुफ्त इलाज करा रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार ने 4.18 लाख करोड़ रुपये के सेस कलेक्शन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 8.19% ज्यादा है। यह पैसा किसी नेता की तिजोरी में नहीं, बल्कि भारत के निर्माण में जाएगा। INDI Alliance ने सत्ता में रहते हुए हेल्थ और सिक््योरिटी के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरी। जब देश की सुरक्षा की बात थी, तो बोफोर्स और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे घोटाले किये।

जब महामारी आई, तो महाराष्ट्र में इनकी अघाड़ी सरकार ने, कोविड बॉडी बैग स्कैम और खिचड़ी स्कैम किया। शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने लाशों के कफन और गरीबों की खिचड़ी में भी पैसा कमाने की योजना बना लीं। इन्होंने वोट बैंक के लिए, पोटा जैसा कानून हटाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया।

### **16.12 बजे (Kumari Selja in the Chair)**

इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है "भ्रष्टाचार से परिवारवाद तक"। ये टैक्स जनता से लेते थे, लेकिन उसे अपने निजी विकास और फॉरेन ट्रिप पर खर्च करते थे। यही कारण है कि जनता ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में इनके वोट चोरी और संविधान खतरे में है के झूठे प्रचार पर अपने वोट की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जनता ने इन्हें आईना दिखा दिया है। जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं, वह दिन दूर नहीं, जब कांग्रेस नेशनल तो क्या, राज्य की पार्टी बनकर रह जाएगी। आप single largest opposition party से single digit MP party बन जाएंगे।

महोदया, अब मैं इस बिल के तकनीकी पहलू पर आता हूँ। यह बिल पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर सेस लगाने का है। लेकिन इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव है। पहले टैक्स उत्पादन पर लगता था, जिससे चोरी करना आसान था। फैक्ट्री मालिक दिखाते कम थे, और बनाते ज्यादा थे। लेकिन इस बिल के तहत अब सेस, मशीनों की क्षमता पर लगेगा। यह 'Self-Declaration' पर आधारित है, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला या बिना बताए मशीन लगाई, तो उस पर 10,000 रुपये या चोरी किए गए, सेस के बराबर जो भी ज्यादा होगा वह जुर्माना लगेगा।

महोदया, इस बिल में सरकार ने भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यह बिल, केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि विशेष परिस्थितियों में वह इस सेस को दोगुना तक बढ़ा सकती है। हर निर्माता को पंजीकरण कराना होगा और मासिक रिटर्न भरना होगा। बिल में एक कठोर ऑडिट और असेसमेंट तंत्र बनाया गया है। यदि कोई धोखाधड़ी, कर चोरी, या रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करता है तो उसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों को छापेमारी, जब्ती और माल या मशीनों को कुर्क करने के साथ-साथ गिरफ्तारी के भी पूरे अधिकार दिए गए हैं।

बिल के अनुसार, यदि कोई मशीन एक मिनट में 500 पाउच या डिब्बे बनाती है तो उस पर सेस इस प्रकार लगेगा - यदि पाउच 2.5 ग्राम तक का है, तो 1.01 करोड़ रुपये का सेस लगेगा। यदि पाउच 2.5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच है, तो 3.64 करोड़ रुपये का सेस लगेगा। यदि पाउच 10 ग्राम से अधिक का है तो 8.49 करोड़ रुपये का भारी-भरकम सेस लगेगा।

इस सेस से जो पैसा आएगा, वह भारत की संचित निधि में जमा होगा और संसद की मंजूरी के बाद इसका उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए किया जाएगा। यह पैसा देश को मजबूत करेगा।

महोदया, यह बिल केवल राजस्व का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है। हर साल हमारे देश में 13.5 लाख लोग, तंबाकू के कारण मर जाते हैं। यह सच है कि भारत में हर घंटे 5 लोग केवल मुंह के कैंसर से मर रहे हैं।

सभापति महोदया, जब पान मसाला और गुटखा महंगा होगा तो उसका सेवन कम होगा और इस सेस से जो पैसा आएगा, वह पैसा एम्स बनाने में, मेडिकल कॉलेज खोलने में और आयुष्मान भारत के हमारे लाभार्थियों के इलाज में खर्च होगा।

आज देश में 23 एम्स और 2,045 मेडिकल कॉलेजेस हैं। एमबीबीएस की सीटें 51 हजार से बढ़कर 1.18 लाख हो गई हैं। यह पैसा इन्हीं भावी डॉक्टरों को तैयार करने में लगेगा, जो कल हमारे और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। वे जहर बेचते रहे और हम चुप रहे, ऐसा नहीं होगा। अब हालात कह रहे कि सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। सेस लगेगा तो नशे की ताकत टूटेगी और कौम की सेहत फिर से खिल उठेगी।

सभापति महोदया, मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल प्रधान मंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला है।

हवाओं का रुख मोड़ देने का इरादा किया है,

देश की सुरक्षा का हमने वादा किया है,

तुम ढूँढते रहो कमियां, अपने पुराने चश्मे से,

हमने इस देश का विकास उम्मीदों से भी ज्यादा किया है।

**DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE):** Madam, I rise to speak on the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025 not with statistics alone, but with the live reality of Indian families. A mother in rural India still walks miles under the scorching Sun for a simple vaccine. A daily-wage worker stills falls into debt for a hospital bed. Health is not an accounting entry; it is a human dignity.

Madam, healthcare in India is fundamentally delivered by the States through PHCs, CHCs, district hospitals and emergency care. Federal balance is not decorative; it is an engine of our healthcare system and no national security structure can stand on a weakened foundation of fiscal federalism. This Bill proposes a new cess on machines and processes used to manufacture pan masala and tobacco products. The intent may appear noble, but our duty as peoples representative is to examine its very architecture.

First, the cess is outside the divisible pool. States which run almost the entire public health machinery will receive nothing. Past cesses have remained unutilized, untransferred. Without a non-lapsable fund, independent audits and mandatory reporting, this Bill risks becoming yet another opaque revenue system. Although the Finance Minister did mention that this cess will be divided with States, it is in no way mentioned in the Bill. Madam, this is not an exception but has become a norm. Cesses now form around 14.8 per cent of Union taxes which have increased from 9.5 per cent. Rs. 94,036 crore from the Education Cess and Rs.3.69 lakh crore from various other cesses have never been transferred to the designated funds, exposing systemic opacity and eroding federal trust.

Additionally, the Bill merges two important objectives, health and national security into a single cess. This dilutes clarity and increases the risk of diversion and makes auditing across two priority sectors very difficult. Instead of strengthening cooperative federalism, this Bill creates a parallel stream outside the GST framework, exactly what the 14<sup>th</sup> and 15<sup>th</sup> Finance Commission warned against when they urged raising States share above 41 per cent. Yet, we see another levy that entirely bypasses the States.

Madam, let us confront the public health burden the cess claims to address. As per the National Academy of Medical Sciences Report 2025, India records around 1,30,000 new oral cancer cases every year and over 75,000 deaths annually, which is among the highest in the world. A national study in 2023 shows that patients spent on an average Rs. One lakh out of pocket for oral cancer treatment and 96 per cent of families experience catastrophic health expenditure, meaning the illness destroys their financial stability. This is the real economic burden which India is facing.

Every rupee collected must be ring-fenced for cancer screening, early detection, NCD management, palliative care, and strengthening the State healthcare systems. Not a paisa should disappear into opaque accounts, like it has been happening.

Secondly, the Bill imposes heavy compliance burdens on small and medium manufacturers, liabilities up to Rs.25 lakh per month and grants sweeping powers of search, seizure, and arrest. The regulation must not become intimidation. We must also acknowledge another reality. The tobacco ecosystem employs nearly 36 million people, farmers, beedi rollers, small manufacturers, transporters, packers, and this reform cannot be built by pushing the poorest to the edge.

Madam, therefore, I propose three constructive amendments. Firstly, a turnover-based exemption threshold should be there so that small and medium manufacturing units are not crippled by this cess and can be shielded from crushing compliance. Secondly, a dedicated beedi workers livelihood transition and welfare fund offering, skilling, micro-credit, health protection, and pathways to alternative livelihoods may be created. Thirdly, a statutory requirement should be there that a fixed percentage of the cess be transferred to the State to hold fiscal federalism and equip the State to handle tobacco related disease burdens.

Hon. Chairperson Madam, let us situate this in Indias broader health context. India still spends just 1.9 per cent of GDP on health, which is far below even our own national health policy target of 2.5 per cent. The Supplementary Grants every year show chronic under-visiting. If health is a priority, it must appear in the Union Budget and not in the last minute cesses. We have around 31882 PHCs at the grassroots, but many still lack doctors, diagnostics and 24/7 services.

The ruling party mentions dash number of AIIMS with a lot of pride, but in reality, we all know that these AIIMS are without specialists, mandatory health services, and with long appointment waiting list. Quantity without quality cannot deliver health security. A PHC, without a doctor, is a building. A CHC without diagnostics is just a signboard. This Bill assumes that higher taxation will curb addiction. But, addiction cannot be fought with taxation alone. We need awareness campaigns, counselling, cessation clinics, and behavioral support. A cess cannot rebuild-ise, a roadmap will definitely do.

Hon. Chairperson, Madam, India needs a genuine alternative raise in health expenditure to at least three per cent of GDP in the Union Budget through transparent budgeting. The Government should treat States as equal partners in health planning and implementation. We need to strengthen PHCs, CHCs, district hospitals, and, even the pride of our nation, the AIIMS. Focus on quality services, not just on numbers. We may publish annual health security and accountability statements and launch national cessations support mission for addiction treatment and behavioal change.

Hon. Chairperson, Madam, this Bill collects revenue from the people, but withholds trust from the States. Without trust, no health system can endure. I would like to quote a line from Shri Rabindranath Tagores work:-

Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark.

Let us not darken that faith with opacity. Let us build a system where every rupee is accounted for, every State is empowered, every worker is protected, and every citizen is secured in health, and thereby the national security.

Lastly, Madam, Finance Minister, I wish you to keep in mind the health economy which is in dire straits as we speak. You propose to generate revenue for a different expenditure, which is becoming costlier because of rupee which is in free fall. Thank you. Jai hind.

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : धन्यवाद सभापति महोदया । इस सदन में आज "हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025" पर चर्चा का अवसर प्राप्त होना मेरे लिए गर्व का विषय है । मैं इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की कुशल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ ।

सभापति महोदया, यह विधेयक सिर्फ एक वित्तीय व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है । देश की जनता की रक्षा, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा और हमारी राष्ट्र-शक्ति को सुदृढ़ करने की जो सोच इस बिल के मूल में है, वह वास्तव में न्यू इंडिया की प्रगतिशील और संवेदनशील शासन-व्यवस्था का प्रतीक है ।

इस बिल के तहत, पान मसाला तथा अन्य अधिसूचित उत्पादों पर सेस लगाया जाएगा, जिसकी आय को सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा । यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उद्योग उच्च लाभ अर्जित करते हैं, जबकि समाज में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ाते हैं । ऐसे में इनसे एक उचित योगदान लेकर राष्ट्रहित में उपयोग करना बिल्कुल उचित और समयानुकूल है ।

सभापति महोदया, बिल में मशीन आधारित उत्पादन पर सेस को मशीन की रेटेड स्पीड और प्रति पैकेट भार के आधार पर निश्चित किया गया है । यह व्यवस्था उत्पादन क्षमता के अनुसार न्यायसंगत, पारदर्शी और तकनीकी रूप से अत्यंत वैज्ञानिक है । वहीं, पूर्णतः मैन्युअल उत्पादन पर 11 लाख रुपये प्रति माह का स्थिर सेस, छोटे उत्पादकों पर अत्यधिक बोझ न डालने का उदाहरण है । यह सरकार की संतुलित और संवेदनशील नीति को दर्शाता है ।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त, सेस भुगतान में अनियमितता होने पर कड़े दंड, रुचिसिद्ध ऑडिट, और तीन-स्तरीय अपील प्रक्रिया हमारे कर प्रशासन को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाएगी । धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण देने या एक करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी जैसे गंभीर अपराधों पर कठोर दंड और कारावास की व्यवस्था- सेक्टर को अनुशासित और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है । मैं सरकार की इस दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करती हूँ कि यदि सार्वजनिक हित में आवश्यकता पड़ी, तो सेस की दरों में दोगुना तक वृद्धि करने का भी प्रावधान रखा गया है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता प्रभावित न हो ।

सभापति महोदया, मैं प्रस्तुत विधेयक में कुछ सुझाव देना चाहती हूँ:-

एक, बिल में एक प्रावधान हो कि सभी मशीनें डिजिटल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (DPMS) से जुड़ी हों, ताकि उत्पादन डेटा स्वतः कर विभाग तक पहुँचे और सेस की गणना अधिक सटीक और पारदर्शी हो ।

दूसरा, बिल में यह स्पष्ट किया जाए कि मशीनों की अधिकतम रेटेड स्पीड का सत्यापन एक थर्ड पार्टी टेक्निकल एजेंसी" करेगी, ताकि कोई निर्माता मशीन क्षमता को कम दिखाकर सेस चोरी न कर सके ।

अंत में, मैं पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक, व्यावहारिक और राष्ट्र-सुदृढीकरण वाले विधेयक के लिए हृदय से बधाई देती हूँ और इसका पूर्ण समर्थन करती हूँ । यह बिल न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के द्विस्तरीय सुदृढीकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा । मैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को भी इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूँ ।

श्री राजीव राय (घोसी): महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया ।

महोदया, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं गुटका सेवन के पक्ष में बिलकुल नहीं हूँ । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नशे की कोई भी चीज मन और शरीर को नुकसान पहुंचाती है । इंसान की सोचने-समझने की शक्ति को कम करती है और उसकी अंतरात्मा को भी कमजोर कर देती है । मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और शायद यही वजह है कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में आज तक शराब, सिगरेट, पान, गुटका का सेवन नहीं किया है । इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल सकता हूँ कि आगे वाली लाइन क्या है । यह सही है, लेकिन इसके साथ एक और सच है कि लगभग साढ़े चार लाख करोड़ लोग इसी उद्योग से कहीं ने कहीं जुड़े हुए हैं । कोई छोटा व्यापारी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला है, पैकेजिंग वाला और किसान इससे जुड़े हुए हैं । जब हम इस तरह का कोई कानून बनाते हैं तो यह भी देखने की जरूरत है कि इसका असर उन करोड़ों परिवारों पर न पड़े ।

मैडम, सेस किसी समस्या का समाधान नहीं है । सेस को स्वास्थ्य से जोड़ना, सेस को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना, हमारी आंतरिक सुरक्षा अगर गुटके के सेस पर डिपेंड हो जाएगी तो भगवान ही मालिक है ।

हमारे यहां इनकम टैक्स पर चार पर्सेंट हेल्थ और एजुकेशन टैक्स लगता है तो फिर यह सेस क्यों? सेस में यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितना हेल्थ में जाएगा और कितना आंतरिक सुरक्षा में जाएगा? कैग की रिपोर्ट बोलती है, समाजवादी पार्टी या विपक्ष की रिपोर्ट नहीं, कि सेस के 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए । कैग के अनुसार पिछले 6 सालों में 48 हजार करोड़ रुपये माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मद पर ट्रांसफर नहीं हुए हैं । 37 हजार करोड़ रुपये जो स्वास्थ्य के लिए ट्रांसफर करने थे, वे ट्रांसफर नहीं हुए । जो पैसा अभी तक इकट्ठा किया है, उसे आपने ट्रांसफर नहीं किया है ।

गुटखा पर बहुत सारे राज्यों में बैन लग चुका है, वर्ल्ड के कई देशों में भी बैन लग चुका है । हमारे यूपी, बिहार में यह चलता है । इससे गरीब परिवार के लोग जुड़े हुए हैं । मेरे बोलने से पहले हमारे पूर्वांचल के माननीय सांसद जी चेर पर थे, पूर्वांचल की मंत्री जी भी बैठी हुई थीं । मुझे लगता था कि मैं जो बोलूंगा, उन बातों से वे भी सहमत होंगे । शायद वे अपनी अंतरात्मा को बोझ तले दबा नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, आईना देख नहीं सकते, इसीलिए उठकर चले गए । किसी ने कहा है कि जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं, वो बड़े बेरहम होते हैं । वे बड़ी बेरहमी से उठकर चले गए । अगर वे रहते तो हां में हां बोलना पड़ता । मैं पूर्वांचल के इलाके से आता हूँ ।

आप स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं । मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जिन परिवारों में 6 लोगों से कम लोग हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है । उसकी लिमिट 5 लाख रुपये तक है । जिस परिवार में गम्भीर बीमारी हो जाए, उदाहरण के लिए कैंसर हो, मैंने बजट में भी कैंसर के मरीजों के संबंध में बोला था । हमारे यहां आर्सेनिक

वाटर है। उसकी वजह से कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पूर्वांचल में जाकर देख लीजिए, हमारे यहां छोड़ दीजिए। माननीय प्रधान मंत्री जी के बनारस में जाकर देखिए। बीएचयू और टाटा के सामने सड़कों पर कैंसर के मरीज पड़े हुए मिल जाएंगे। मैंने अपने बाप को खोया है। उनको गले का कैंसर हो गया था। मैं उनको लेकर बनारस के अस्पताल में गया, बेंगलुरु के अस्पताल में गया। उन्हें एक-एक लाख रुपये का इंजेक्शन विदेश से मंगवाकर लगवाना पड़ता था। जिन परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, आप उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का पहले से बकाया सेस का पैसा नहीं दे रहे हैं। उनके बारे में चिंता कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है। वहां कफ सिरप पिलाकर बच्चों को मारा जा रहा है। एक साल तक महिला भटकती रही, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसे विषयों पर कौन सोचेगा?

खाली टैक्स लेने के लिए आप स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप अस्पतालों में जाकर देखिए। मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र की दिशा की बैठक में इस विषय को उठाया। हमारे यहां एक महीने में चार-पांच महिलाओं की मौत हो गई। वहां फर्जी डाक्टर इलाज करते हैं। वहां बोर्ड लगा दिया है, क्योंकि किसी को दिल्ली में संरक्षण प्राप्त है। बड़े-बड़े डाक्टरों के नाम लिख दिए जाते हैं और सड़क छाप डाक्टरों से इलाज कराया जाता है। मैंने जब दिशा की बैठक में आवाज उठाई तो छापे मारे जाने लगे और पैरासिटामोल बेचने वालों को बंद किया जाने लगा। आज भी स्वास्थ्य माफिया के संरक्षण में फर्जी दवाएं बिक रही हैं, फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं।

जब आप अस्पतालों को परमीशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो यह देखिए कि स्पेशलिस्ट कौन होगा, डाक्टर कौन होगा, क्या वह स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं? स्वास्थ्य माफिया जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में काम कर रहा है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। जो सेस का पैसा लिया गया था, वह प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिए था। वे पुराने पैसे अभी तक राज्यों को नहीं मिले हैं। हमारे यहां स्कूलों को बंद किया जा रहा है। (व्यवधान) पांच-पांच किलोमीटर स्कूल दूर कर दिए गए। (व्यवधान) जो पहले बोल रहे थे, आप उनको भी मना कर देते। (व्यवधान) क्या यह लाइसेंस मिला है कि केवल बीजेपी के लोग बोलेंगे? सच्चाई बरदाश्त नहीं होती है। (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Please address the Chair.

श्री राजीव राय (घोसी) : सच्चाई बरदाश्त नहीं होती है। मैडम, आपने सुना। 370 पर बहस हो रही थी, चाइना एवं पाकिस्तान पर बहस हो रही थी। आईना दिखाऊंगा तो ये झेल नहीं पाएंगे। आईना यह है कि माफिया काम कर रहा है, सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है। पैसा नीचे से ऊपर पहुंचता है। अगर यकीन न हो तो मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आप मेरे साथ बनारस चलकर प्रधान मंत्री जी के इलाके में देखिए। आप आंतरिक सुरक्षा को इससे जोड़ रहे हैं। यह भी एक बीमारी है। यह सेस के पैसे से ठीक नहीं होगी।

मैडम, आप बुद्धिजीवी हैं, दयालु हैं। इस टैक्स को दुनिया भर के देशों में सिन टैक्स भी कहा जाता है।

इस टैक्स की कुछ टेक्नीकेलिटीज़ हैं। आप कल्पना कीजिए, क्योंकि यह मशीन से चलेगा, प्रोडक्ट खराब हो जाए या स्पॉएल हो जाए लेकिन काउंटिंग मशीन से होगी तो स्पॉएल और खराब प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की कोशिश की जाएगी। इसका सीनेरियो कितना खतरनाक होगा, क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है?

सभापति महोदया, मैं सेस के पैसे को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ने के खिलाफ हूं। हमारी सुरक्षा गुटखा और शराब के पैसे पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आपको देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए टैक्स लगाना है,

लगाइए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। आप टैक्स लगाएं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि टैक्स का पैसा लेकर आप अपने यहां रखें और राज्यों को न दें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे ज्यादा गुटखा आता है, बिहार में आता है, पूरा पैसा वहां जाए। आप ऑडिट करवाएं कि अगर स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर लिया है या आंतरिक सुरक्षा के नाम पर लिया है तो क्या अस्पतालों की दशा बदली है?

मेरे यहां जमीन है, जब मैं पहली बार सांसद बना था तब से मांग कर रहा हूं कि कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए। आप हमारे यहां टैक्स लगवा दीजिए और कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए ताकि यहां निशिकांत दुबे जी के यहां से लोग आ जाएं। यहां एम्स की बात हो रही थी। 1 लाख 10 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ा दी गईं। एमबीबीएस को कौन पढ़ाता है? एमडी पढ़ाता है या एमएस पढ़ाता है। आप फैकल्टी नहीं बढ़ाते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी से फीता कटवा देते हैं, उद्घाटन करवा देते हैं। मैं चुनौती देता हूं, वहां जाएंगे तो कमरे के दरवाजे तक नहीं होंगे, डॉक्टर की बात तो दूर है।

मैडम, और तो और हालत उस हद तक चली गई है कि सदन में जो सवाल उठते हैं, जीरो ऑवर में जो सवाल उठते हैं, उसके फर्जी जवाब दिए जाते हैं। मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा और इसके तथ्यों को मैं अलग से प्रिविलेज मोशन में लाऊंगा। वहां डॉक्टर नहीं हैं लेकिन डॉक्टरों के बारे में लिख दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां कफ सिरप बनाने वालों को सत्ता से संरक्षण मिलता है, उसे खत्म कीजिए। जहां चिकित्सा माफिया है, उसे खत्म कीजिए, जो लोग फर्जी डॉक्टर के नाम पर पैसे लेकर अस्पताल चलाते हैं, उसे खत्म कीजिए तब जाकर स्वास्थ्य सुरक्षा होगी। आप गुटखे के पैसे स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जब देश के लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो आंतरिक सुरक्षा वैसे ही खत्म हो जाएगी।

**DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU):** Respected Madam, I rise to speak on the Health Security se National Security Cess Bill, 2025, which aims to provide a stable, long-term revenue stream for health emergency preparedness and national security. The Covid-19 pandemic highlighted the urgent need to strengthen disease surveillance, response systems, and public health infrastructure, making this Bill timely and welcome.

First, I would like to acknowledge some of the positive aspects of this Bill, especially its dedicated and predictable health security funding. This Bill recognises that public health emergencies cannot be managed by irregular, ad-hoc budget allocations. A dedicated cess ensures a stable and long-term funding mechanism. This funding can support disease surveillance networks, expand ICU and emergency care capacity, and back vaccine research.

Public health supports national preparedness. This Bill allocates resources to strengthen both public health and security, recognising that robust health infrastructure is crucial for overall national preparedness.

While acknowledging the positive aspects, I would like to stress that States like Andhra Pradesh continue to face significant public health and infrastructure gaps.

It is crucial that the benefits of the cess reach the frontline and support state-level preparedness effectively.

Firstly, ensuring safe drinking water and preventing water-borne diseases and food poisoning in the residential schools of Andhra Pradesh is essential. I may bring to the kind notice of the Government that a couple of months ago, a jaundice outbreak occurred in the Kurupam Girls Residential School, where two innocent tribal students lost their lives, and 170 tribal students were admitted to the hospital due to jaundice.

This outbreak occurred due to contamination of water with faecal matter. It is complete negligence on the part of the State Government for not providing safe drinking water to the students studying in residential schools. It happened due to the poor maintenance of an RO plant.

Our former Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy Garu demanded for the compensation and accountability from the State Government. But so far nothing has happened.

The second incident happened a month back immediately after the Kurupam incident where food poisoning happened in the Government Residential School run by the State Government in Jarrela and Rajendrapalem.

In Jarrela, 53 students fell sick and in Rajendrapalem, 22 students fell sick and were admitted in hospital only because of food poisoning. These incidents have raised concerns about the States response affecting the tribal students and inadequacy of the public education infrastructure. Today, I raised this issue in this House because there is a saying in Telugu that *Neti Ballale, repati pourulu* which means todays children are tomorrows youth.

There is another important issue in Andhra Pradesh. In 2025, PHC doctors protested in Andhra Pradesh which reveals serious pressure on public healthcare with overall 1100 centres at risk of shifting outpatients and the emergency services due to the staff shortages and long-standing unresolved grievances.

While temporary measures like deploying substitute staff and restoring in-service PG quota were taken, long term issues are still pending. Health security and national security should be strengthened in the rural areas and in the tribal PHCs by hiring and retaining staff and improving the promotion channel and by giving incentives and emergency care training and upgrading the infrastructure so that

the service remains uninterrupted and vulnerable communities receive the treatable healthcare.

By this, the Health Security Se National Security Cess Bill must clearly focus on providing safe drinking water and upgrading the rural water pipelines and providing surveillance of water borne diseases in the high risk districts like ASR and Manyam in Andhra Pradesh and additional priority should be given for improving sanitation and health services in the welfare schools.

Thank you, Madam.

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर): माननीय सभापति महोदया, आज मैं इस सदन में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। केन्द्र सरकार यह विधेयक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रस्तुत कर रही है। यहां समझ में नहीं आ रहा है कि गुटखा और पान-मसाला पर उपकर सेस वसूल कर लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर सचमुच केन्द्र सरकार लोगों की चिंता करती है, तो बिहार सरकार जैसी शराबबंदी की तर्ज पर संपूर्ण देश में पान-मसाला एवं गुटखा बनाने व बेचने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने की जगह अपनी जेब भरने की चिंता है।

दूसरा, पान-मसाला, गुटखा एवं तंबाकू जैसे उत्पादों से प्राप्त होने वाली आमदनी से राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या लेना-देना है? इस विधेयक के प्रावधानों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है। क्या पान-गुटखा बनाने वाली कंपनियां कोई ड्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा? यह तथ्य अपने आपमें बेहद हास्यास्पद है, सिवाय और कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे उत्पाद हैं, जो दोहरी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं।

जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्रम में परमाणु बम बनाने से यूरेनियम पैदा होता है, लेकिन पान-गुटखा बनाने वाली व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे चुनौती देगी? कहीं न कहीं इस प्रावधान में राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जोड़ देने से उपकर से अर्जित आय का हिसाब-किताब आम जन को सूचना से महरूम कर देने के अलावा यहां कोई और दूसरा कारण नहीं दिखाई देता है।

तीसरा, कानून बनाने के क्रम में एक जगह उल्लेख है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी नए उत्पाद का नाम इस सूची में जोड़ सकती है। एक जगह कानून में यह भी लिखा है कि अगर सरकार चाहे तो कोई पेनल्टी और इस तरह के सेस को आंशिक रूप से या पूरा माफ कर सकती है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि सत्तारूढ़ दल चुनावी फंडिंग या इलेक्टोरल बॉन्ड में आना-कानी करने पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। अगर कारोबारी उनसे सहमत होंगे, तो कर माफ कर देने का भी प्रावधान है।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक के आने से इंस्पेक्टर राज की वापसी का भी रास्ता साफ हो रहा है। जबकि वर्तमान सरकार रोज इस सदन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ढिंढोरा पीटने में लगी रहती है। यह उपकर पूरी तरह से केन्द्रीय स्तर के लिए बना है। इसमें राज्यों के साथ किसी प्रकार के शेयरिंग मैकेनिज्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि स्वास्थ्य भी राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वसूले गए संसाधनों से राज्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

संविधान का अनुच्छेद-270 राज्यों को उपकर के राजस्व में कोई हिस्सा नहीं देता। जबकि राज्य 60 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय का बोझ स्वयं उठाते हैं, क्योंकि केंद्र गैर-साझा करने योग्य उपकारों पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। 15 वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को 41 प्रतिशत तय किया था, लेकिन केंद्र सरकार के उपकर बढ़ाने से राज्यों को वास्तविक हिस्सा कम मिल रहा है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार राज्यों से परामर्श, जीएसटी काउंसिल पर विस्तृत विचार-विमर्श और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की सिफारिशों की प्रतीक्षा किये बिना धीरे-धीरे संसद से ब्लैक चेक मांगने की कोशिश कर रही है। सरकार इस सेस को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़कर भावनात्मक सहमति लेने की कोशिश कर रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ पर खर्च बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि उसका रास्ता ऐसा होना नहीं चाहिए, जो असमान, अपारदर्शी और राज्यों तथा श्रमिकों के हितों के खिलाफ हो। यदि सचमुच उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है, तो सरकार को चाहिए कि सामान्य बजट प्रक्रिया, वित्तीय उत्तरदायित्व और संसद की फाइनेंस कमेटीयों के माध्यम से स्पष्ट बजट का प्रावधान करती, न कि एक और नया सेस लगाकर टैक्स स्ट्रक्चर को और पेचीदा बनाती। विधेयक यह कहता है कि उपकर से प्राप्त रकम पहले समेकित निधि में जायेगी और बाद में स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च होगी। लेकिन यहां पर किसी स्पष्ट, बाध्यकारी अनुपात, पारदर्शी रिपोर्टिंग या स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट की मजबूत व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। अभी तक कोई स्पष्ट आउटकम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है। इस सेस से जुटाई गई राशि से कितने नए अस्पताल, कितने हेल्थ सेंटर्स, कितने रक्षा प्रोजेक्ट्स या कितने आपदा तैयारी तंत्र बनाए जाएंगे?

सरकार इस उपकर को मुख्यतः पान मसाला और आगे अधिसूचित विशिष्ट वस्तुओं पर लगा रही है, जिन्हें वह हानिकारक मानती है, पर न तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों और न ही एनसीडी (गैर-संचारी रोग) तथा कैंसर बोझ आदि के किसी वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला विधेयक में है, जो कि स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए था। यदि वास्तव में उद्देश्य नशे की बुरी आदतों को रोकना है, तो सरकार को तंबाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त पालन, उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास कार्यक्रम और राज्यों के स्वास्थ्य बजट को सीधी मदद जैसे उपायों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से व्यवहार परिवर्तन की गारंटी नहीं मिलती है।

यह बिल कहता है कि कोई भी व्यक्ति, जो निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए कोई मशीन ओन ऑपरेट (Own operate) या कंट्रोल करता है, तो उस पर सेस लगेगा, चाहे वास्तविक उत्पादन कितना भी हो। सेस मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर लगेगा, न कि वास्तविक आउटपुट पर यानी अगर बाज़ार में मंदी है, उत्पादन घटाना पड़े या मशीन आंशिक रूप से चले, तब भी पूरा सेस देना होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और मझोले उद्यमियों को होगा, जो पान मसाला और इससे जुड़े सेक्टर में कारखाने चलाते हैं, किराये पर मशीन लेते हैं या साझा मशीनों से काम करते हैं। इन इकाइयों में काम करने वाले हजारों-लाखों मजदूर, पैकिंग वर्कर्स, परिवहन कर्मी और सप्लाय चैन से जुड़े लोग अचानक बहुत बड़े टैक्स बोझ और अनिश्चितता के दायरे में आ जाएंगे। यह उपकर मशीन की रेटेड स्पीड के आधार पर लगाया जाएगा। ज्यादा स्पीड वाली मशीन पर प्रति माह करोड़ों रुपये तक का उपकर देना होगा, जिससे छोटे और मध्यम यूनिट्स या तो बंद होंगे या फिर गैर-औपचारिक एवं अवैध उत्पादन की ओर धकेल दिए जाएंगे। (व्यवधान)

पान मसाला और संबंधित उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए न तो इस विधेयक में कोई सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है और न ही वैकल्पिक आजीविका का कोई व्यावहारिक खाका। जबकि अवैध तथा बिना बिल के उत्पादन से राजस्व हानि और मिलावटी उत्पादों का खतरा और बढ़ेगा।

विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह उपकर कब तक वसूला जाएगा, कौन-सा वित्तीय लक्ष्य पूरा होते ही इसे वापस लिया जाएगा और संसद को प्रत्येक वर्ष फंड के उपयोग का विस्तृत एवं अनिवार्य लेखा-जोखा दिया जाएगा या नहीं ।

आज तक शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, सड़क उपकर आदि के उपयोग की समेकित तथा सार्वजनिक समीक्षा इस सदन के सामने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं प्रस्तुत हुई है । ऐसे में एक और उपकर जोड़कर सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है । यदि सरकार सचमुच स्वास्थ्य की चिंता करती है, तो उसे टैक्स के साथ-साथ डिमांड साइड नीतियां लानी चाहिए । सख्त विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास, वैकल्पिक रोजगार, स्वास्थ्य योजनाएं, जागरूकता अभियान और राजस्व के नाम पर सिर्फ बोझ बढ़ाना समाधान नहीं है । मैं सदन से मांग करता हूं कि अस्पष्ट प्रावधानों के चलते इस कानून को सेलेक्ट कमेटी के सामने जाना चाहिए, जिससे इस पर विस्तार से चर्चा हो सके । धन्यवाद ।

**SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL):** Hon. Chairman Sir, our hon. Finance Minister has introduced Health Security Se National Security Cess Bill 2025. Hon. Finance Minister while making the introductory remarks said that as per the production capacity of the machinery, Cess will be levied on Pan Masala and other tobacco products. She also announced that the amount thus collected would be utilized for health security and national security. These securities are very much needed. There is no second thought on this. But hon. Finance Minister should clarify whether the amount collected through Cess would be sufficient for ensuring health security and national security. If Cess is levied, the amount thus collected will only go to the Union government. As the States have to take care of health and security issues, I urge upon the hon. Finance Minister that 50 per cent of the amount collected through such a cess should be given to the States. In her initial remarks, Finance Minister said that they would devise schemes for the States with this fund. I wish to state that if 50 percent of the tax income is provided to the States, they can themselves formulate Schemes suitable for them. I urge that taxes on the essential items should be reduced and the taxes on corporates and the rich should be increased. Please show sympathy towards poor. Dont shrink or do away with the Schemes meant for poor people. We cannot minimise the usage of tobacco, Pan Masala, zarda, liquor, etc. just by putting more tax on these products. Union Government has refused to accord approval for a hospital under the PMJVK (Prime Minister Jan Vikas Karyakram) funds. We also want to know as to what happened to the PM CARES fund created during Corona period. We also wish to know the income and expenditure statement pertaining to PM CARES fund. Many families in our country are facing difficulties due to cancer, kidney failure and heart related ailments. When we recommend for providing assistance under the Prime Minister Disaster Relief Fund, they fix a quota for the number of beneficiaries for every month. Whatever be the required amount, they permit only an amount

between Rs. 1 lakh and Rs. 3 lakh. People are affected during the period when diseases spread rapidly. This Government failed to control the pricing of drugs. I wish to ask the Government to explain on the action taken against those who fix and sell medicines at exorbitant rates. National security has become a question mark in the national capital itself. During Operation Sindoor, hon. Minister for Home Affairs stated that headquarters of Jaish-e-Mohammed terrorist organisation and other terrorist camps were destroyed completely and terrorism has come to an end. Delhi Car bomb blast took place only after Operation Sindoor. Who are falling prey to terrorism? Only those who are boycotted and those who feel insecure try to follow terrorism. Government should engage such people and try to engage in confidence-building measures. Only through such measures, terrorism can be destroyed. In Tamil Nadu, regarding lighting of Karthigai Deepam (lamp) on the stone pillar atop a hill, a sitting Judge of High Court who enquired the case created controversy which led to riots. CISF personnel were originally sent for security, but that Judge had used them for implementing his unilateral judgement. He wanted to create a tussle between the State Police force and the Central Industrial Security Force. Due to his Judgement, people witnessed religious clashes. What would be the action taken by this Government against such Judges? Fines should be imposed on them. The national security fund should be increased by way of such actions. Drug Enforcement Agency says that illicit drug is transported along the seashore of Gujarat and Maharashtra. Trafficking of Drugs like Methamphetamine has increased 6 times between the years 2014 and 2024. Therefore, I request the Hon Finance Minister to use the collected fine amount, which were imposed on such illegal activities, for national security. This Government should make changes in the tax system. Taxes on poor should be reduced. Income should be generated by levying additional taxes on the Corporates and the rich. I urge the Hon Finance Minister to implement the welfare schemes meant for the public through such tax revenues collected from corporates and rich.

Thank you.

**SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM):** Madam, the purpose of this Bill is to introduce special taxes on the products like pan masala and any other items that the Central Government may add later. Money collected from this cess will be used for public health and national security purposes. The Government can increase cess up to double if needed in public interest for a limited period. Other penalty clauses are also there.

When we are discussing this, I am not questioning the integrity of the Government or the honesty of the hon. Minister. The fact remains that, instead of addressing the crux of the issue, you are just beating around the bush. You are really not addressing the main issues. It is as if you believe in some kind of magical remedies, which will not work. We have to address the real problem.

We all know that there are certain problems, especially in the health sector. If we honestly think about the health sector in India, it is deteriorating significantly. These kinds of small arrangements will not serve that purpose. We have to take it very seriously. Revenue generation, to an extent, is okay, but that alone will not solve the problem. Instead, we have to do serious work.

We know that worldwide, the expenditure on education and health is given maximum importance. Unfortunately, we are resorting to these kinds of small arrangements. We may do it around the merits of it. India is a country that gives very low priority to this sector. As an example, India spends only two per cent of its GDP on health care. At the same time, other countries allocate between five per cent and eight per cent. India has a very low spending on this sector. The Government should change its priorities.

Now, what is happening is this. My learned friends have mentioned about another danger. The products like Pan Parag are emerging in the market in a big way. We may get some revenue out of it, but I would like to say that this revenue would kill our kids. This drug abuse is still rampant. There is no remedy. So, what I am saying is, India must think seriously about this.

Currently, we have agreed to allow 100 per cent foreign investment. Foreign companies are coming in. Okay, let them deposit their investments and run good hospitals. But now we have to realize that a new technique is emerging, which is not Foreign Direct Investment. They are not investing money here; rather, they are taking away the ownership of the institutions. This is happening now. Big hospitals in India are being captured by foreign entities. They are capturing the entire market. You know what the strategy is.

Madam, I do not want to take much of your time. I would like to say that these foreign companies have already purchased most of the hospitals in India. I do not know whether the Government is aware of this. For example, Temasek (Singapore) holds 59 per cent of their share in Manipal Hospitals; Blackstone (US) is capturing 80 per cent of its share in KIMS; KKR (US) holds a significant share in Baby Memorial

Hospitals; CVC Capital (Luxembourg) holds 60.4 per cent of its share in HCG; General Atlantic holds 70 per cent of its share in Ujala Cygnus; and TBG Growth (US) holds 55 per cent of its share in our hospitals. What are they going to do? They are not investing in India. We are talking about Make in India, but these companies are taking over India's hospitals, according to their will and pleasure. What will happen if we remain silent on these matters? What kind of danger are we inviting?

I humbly request the Government to think seriously about this. It is not a small issue. Our investment and various other aspects depend on these considerations. Policies need to be revised. The Governments should think out loud about these matters.

Madam, I would like to emphasize that we have to work jointly and fight against these challenges. I am going to conclude. The Government must have a clear-cut programme of action, not just take the cess on that. The clarity is not there. One area is security and the other area is health. What is the proportion of allocation? How much are you going to allocate for health and how much are you going to allocate for security? All of these aspects require further clarification.

So, with good intentions, I would say that you must think seriously about these issues. With these few words, I conclude. Thank you very much.

### **17.00 hrs**

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : माननीय सभापति महोदया, जो यह बिल आया है, the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025, मैं इसकी हिमायत में खड़ा हुआ हूँ, इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। मैं हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसने जो यह डी-मेरिट गुड्स हैं, जिसमें खासतौर पर पान-मसाला वगैरह शामिल हैं, उन पर सेस लगाया है, इंपोज किया है। यह बहुत जरूरी है। मैं इसको इस नजर से नहीं देख रहा हूँ कि इससे रेवेन्यू कितना बढ़ेगा या कम होगा। इससे कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। मेरी हुकूमत से यह मांग रहेगी कि इस किस्म की सारी चीजें चाहे वह पान-मसाला हो या ड्रग्स का मामला हो या और ऐसी चीजें जो जिससे हमारी इंसानियत तबाह हो रही है, हमारा यूथ इससे तबाह हो रहा है, उसको मुकम्मल बैन किया जाए। उस पर मुकम्मल पाबंदियां लगाई जाएं, उस पर मुकम्मल तौर पर सेस लगाया जाए और हमें उसको डिस्करेज करना चाहिए। अगर कोई इस कारोबार में लगे हुए हैं। वे इसका काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। अगर उनका कारोबार जा रहा है, तो उनके लिए सरकार कोई अल्टरनेटिव रिसोर्स दे सकती है, लेकिन ये चीजें बंद करने से हमारा समाज ठीक होगा, हमारे लोग ठीक होंगे। आज दुनिया में इंप्लॉयमेंट से भी ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वह इस चीज की है कि ड्रग्स में जो लोग, जो बच्चे जा रहे हैं। हमारी पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं, उससे बचने की जरूरत है। मैं उस एंगल से इसको देख रहा हूँ। यह भी अच्छी बात है कि इससे जो पैसा जमा होगा, आप उसको हेल्थ सेक्टर में लगाएंगे। जान है तो जहान है। सेहत ठीक रहेगी तो सब काम होंगे। जो हमारा हेल्थ का सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन का सेक्टर है, हमारे हिंदुस्तान के ग्रामीण एरियाज़ में उसकी बहुत बुरी हालत है। उसका बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ

और बिल्डिंग्स की कमी है। यह जो पैसा जमा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है, इस बिल में यह कहा जा रहा है कि लोगों की हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल होगा। हम इस चीज का वेलकम करते हैं और हम यह चाहते हैं कि स्टेट्स को भी यह पैसा जाएगा। मेरी हुकूमत से यह अपील होगी कि स्टेट्स को भी यह कहा जाए और केन्द्र सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे कि कैंसर के जो पेशेंट्स होंगे, इसमें से ज्यादा पैसा उनके लिए जाना चाहिए। क्योंकि यह बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, इसके इलाज में बहुत ज्यादा खर्च है। चाहे अमीर हो या गरीब हो। अल्लाहताला हर एक को बचाए। इसमें बहुत बड़ा खर्च होता है, तो अगर मेरी यह तजवीज मान ली जाए कि इस पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम में लिया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आसन पर आपसे पहले जगदंबिका पाल जी थे, वे कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने का है, तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि आप बेशक हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज मत खोलिए, लेकिन जो आपने खोले हैं, उनको तो ठीक कीजिए। आप उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर तो देख लीजिए। वहां पर कैथलैब नहीं है, वहां पर एमआरआई मशीन नहीं है, वहां सिटी स्कैन नहीं है और फैकल्टी की तो बात ही नहीं है। वित्त मंत्री साहिबा यहां पर नहीं हैं, अगर वे यहां पर होतीं, तो मैं उनको कहता कि ज्यादा बिल्डिंगें बनाने, कॉलेज खोलने से मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर के ज्यादा मसले हल नहीं होंगे। हल इससे होंगे कि एक तो इस पैसे को बेहतर यूज किया जाए और दूसरा जहां पर आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर है, आपके कॉलेज हैं, कम से कम वहां पर फैकल्टी होनी चाहिए, वहां पर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब): मैडम, आपने मुझे अहम बिल पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं बिल का टाइटल हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पढ़ रहा था। मेरा यह मानना है कि हेल्थ सिक्योरिटी के लिए या तो अच्छी डाइट मिले, स्पोर्ट्स का अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर मिले, उससे आदमी की सेहत बेहतर हो सकती है। पान मसाला, तम्बाकू के बारे में तो हर जगह लिखा है कि सेहत के लिए यह बड़ा खतरनाक है। हम उसके बावजूद उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। इवन, हमारे यहां तो ग्लोरिफाई किया जाता है कि बारातियों का स्वागत पान मसाले से होगा। यह बड़ा हास्यस्पद विषय है।

मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज 10 वें बादशाह थे। सिख धर्म में तम्बाकू या बाकी चीजों को कैसे लिया जाता है? वे एक बार घोड़े से जंगल में जा रहे थे तो उनका घोड़ा तंबाकू के खेत को देखकर रुक गया था। यह चीज बहुत खतरनाक है। इस बिल के माध्यम से सरकार चाहती है कि देश की सिक्योरिटी को सिक्योर किया जाए। फिर तो पान बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला कहेगा कि मैं देश को सिक्योर कर रहा हूँ।

अभी तक तो हम सोचते थे और यह सच्चाई है कि हमारी देश की जो ग्रेट आर्मी है, उसके कारण हम लोग सिक् योर्ड हैं, हमारे बॉर्डर्स सिक्योर्ड हैं। फिर कल को पान बेचने वाला कहेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, इसलिए देश का बॉर्डर सिक्योर्ड है। यह अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्शन पैदा करता है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें पूरे तरीके से वर्जित होनी चाहिए थीं। ऐसा हो सकता है। सरकार की इंटेंशन पर मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, मुझे लगता है कि यह अपने आप में बहुत मैच्योर इश्यु नहीं है।

गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से हजारों-करोड़ों रुपये की नशे की खेप पकड़ी जाती है और वह देश के अन्य भागों में यूटिलाइज हो रही है। जो लोग इतने बड़े नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? हम पान मसाले पर जो सेस लगाएंगे, पंजाब का पाकिस्तान से 750 किलोमीटर का बॉर्डर है, मुख्यमंत्री भगवंत मान

जी बार-बार कह रहे हैं कि उसको मॉडर्नाइज कीजिए । नशा बाहर से आ रहा है । उसको रोकने के लिए क्या सरकार इस सेस का यूटिलाइजेशन ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर करेगी? ये तमाम इश्युज हैं । मुझे लगता है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, इवन इसमें तो एक बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है, impact of major stakeholder, impact on consumer और इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि no major changes as prices not likely to get impacted.

इसके प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे और उसका इंपैक्ट भी नहीं होगा । क्या हम उसको ग्लोरिफाई कर रहे हैं? क्या पान मसाले को और लोग खाएं, क्या इस तरफ सरकार जा रही है? उससे वह ज्यादा सेस बटोरेगी । पान मसाले वाले जो कारोबारी हैं, उनका कारोबार और बढ़ेगा । हम किस तरफ जा रहे हैं? यह बड़ा कंट्राडिक्शन है ।

मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं । तमाम देश भर में जीएसटी के माध्यम से या अलग-अलग तरीके से टैक्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है । पान मसाला और तंबाकू से जो सेस इकट्ठा होगा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें स्टेट्स का कितना हिस्सा रहेगा? उसके बारे में भी क्लेरिफाई करना चाहिए । अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी तो उसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, लोगों का खाना-पीना बेहतर करना चाहिए, न कि ऐसी चीजों को ग्लोरिफाई करना चाहिए या उस पर टैक्स लगाना चाहिए । इससे तो उसका कारोबार करने वाले उत्साहित होंगे । वे यह कहेंगे कि हम देश को सिक्योर कर रहे हैं । यह अपने आप में बहुत कंट्राडिक्शन पैदा करता है । मुझे लगता है कि इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE):** Thank you, Chairperson Madam for allowing me to speak on the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025, which proposes to levy a cess on machines installed and the processes to manufacture goods that fall under high health risk and high revenue category, like pan masala and tobacco products.

The main objective of the Bill is to raise additional revenue in two categories: national security and public expenditure. But, Madam, from health security to national security, the purpose of collecting cess is to spend it for a specific purpose.

But here the spectrum is very broad from health security to national security. Where the accountability will be and how the audit will take place is a serious concern that we have to focus on.

Anyway, this Government brings a Bill for consideration and passing. But till now, I have not seen any consideration; only passing. Whatever revenue that is generated from this cess is expended usually for a specific purpose. This allows the Centre to have more fiscal autonomy, but the point to be noted is that it acts as a new and big source of revenue for the Union Government. At the same time, the cess reduces the fiscal state and the financial autonomy of the States. Most importantly,

the shift towards non-shareable taxes reduces transparency in fiscal management. Normally, in public health spending, it is said that 1.1 per cent to 1.5 per cent of GDP is spent as per 2017 statistics. But as per the National Health Policy, it has to be a minimum of 2.5 per cent. This Government will never believe in spending on health care, but it only poses as if it is having a serious concern about the health care.

Article 270 states that the States will not receive any share of cess proceeds, a structural aspect that increasingly strained the fiscal federalism. For example, the 15<sup>th</sup> Finance Commission recommended that the States should receive 41 per cent of the divisible pool, for 2021-2026, the actual share of the States gross tax revenue has declined significantly as the Centre now collects the largest proportion of taxes through non-divisible taxes and surcharges. As a result, the States have to encounter a dual challenge that the share of the simple taxes diminishes while they continue to bear nearly 50 per cent of public expenditures responsibility, particularly in essential sectors like health, education and infrastructure. In this context, introduction of additional sources from which States are excluded, which leads to restrict and undermine the cooperative federalism. Combining health and national security and merging the two, both unrelated objectives, under one cess is dilution of priorities. Funds meant for public health may be diverted to security purposes or *vice versa*. This reduces transparency.

Madam Chairperson, I would like to bring to your kind attention that more than Rs. 1.5 lakh crore of funds collected by the Government through the varied schemes for the purpose of higher education, road development and welfare of construction workers are lying unutilised. I am not saying this. Madam, it is CAGs report. A huge possibility of diversion of funds for the purposes mandated under the Finance Act cannot be ruled out at all. A cess does not form part of the divisible pool to be shared with the States. The cess that is collected is to be deposited to designated reserve fund. There is a huge shortfall of Rs. 3.95 lakh crore cess which was not transferred for the specific purpose, especially in the field of oil industry, health and education.

Madam, intended beneficiary funds are Prarambhik Shiksha Kosh (PSK), 2005, Madhyamik and Uchchar Shiksha Kosh (MUSK), 2017 and Pradhan Mantri Swastik Suraksha Nidhi, 2021. But CAG finding says, in 2018-2019 and 2023-2024, around Rs. 37,000 crore is shortfall in transfer, but the Finance Ministry claims that it transferred Rs. 3.6 lakh crores, but shortage of Rs. 1 lakh is still there and it is not

answered at all. The reasons are violation of fiscal transparency, that is, not transferring money to the intended fund. This is violation of Parliaments authority, federal accountability and citizens trust.

Madam Chairperson, there is another interesting report of CAG. It says that out of Rs. 2.75 lakh crores received from 35 different cesses and levies in 2018-2019, only Rs. 1.65 lakh crore has been transferred to reserve fund and the rest was returned to CFI, that is, Consolidated Fund of India. There is inflexible rule that we cannot park public funds outside Government accounts. There are three funds in which Government receipts are parked and they are Consolidated Funds, Contingency Funds and Trusts.

In 2021-2022, the Government collected Rs. 52,000 crore through health and education cess out of which 60 per cent of the fund, that is Rs. 32,000 crore was transferred to the Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) but till now there is no fund transfer for MUSK and PMSSN.

Interestingly, this Government is hiding itself behind Minor Head 800, that is Other Receipts & Other Expenditures. In 2019-2020, the C&AG Report said that repeated use of Minor Head 800 results in opaqueness of accounts and needs to be curtailed. In the latest Report, the Government Auditor said that 60 per cent of expenditure is under nine major Heads like health, roadways, etc. though land reforms was under Minor Head 800. The total expenditure under nine major Heads worked out to Rs. 79,000 crore. Out of this, 60 per cent, that is Rs. 48,000 crore was treated as Minor Head 800. This was a mere account adjustment.

This is a point of concern where the Government keeps on imposing cess and it is not being utilized for the specific purpose. The transparency is lost, opaqueness dominates, and accountability is questionable. Hence, I strongly object to it.

Lastly, by adding one more cess, this Government is making a big mess. Thank you, Madam.

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Members, I will only be able to give five minutes each to the hon. Members to speak.

The next speaker is Dr. C. N. Manjunath.

**DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL):** Thank you, Madam for this opportunity to debate on the Health Security Se National Security Cess Bill.

Actually, when we are giving something to health and when we are giving something towards national security, in fact it is not a stress and it should be a joy. It is going to be a minimal responsible contribution for nation's critical response. So, certainly, it is a privilege to speak on this occasion because a healthy nation is a strong nation.

Today, 60 per cent of deaths in India are premature and due to non-communicable diseases. Earlier, children used to bring parents for the treatment of all these diseases. Today, parents are bringing their children in the age group of 20 to 40 years for the treatment of heart attack, brain stroke, high blood pressure, diabetes and cancer.

If one looks at the GDP loss because of tobacco and related products, including pan masala, the revenue loss in terms of GDP is one per cent, and nearly five to eight per cent of our health expenditure goes towards tobacco-related diseases. At the same time, nearly Rs. 37,500 crore is spent towards tobacco-related products, including pan masala. So, it is a matter of great concern.

In fact, we have to congratulate our hon. Prime Minister as well as our Finance Minister for bringing lot of steps. I am saying this because she has put a lot of money in the hands of the people because for income up to Rs. 12 lakh, there is income tax exemption. As a result, nearly Rs. 1 lakh crore is put in the hands of the people.

As regards GST reduction, it was the desire and dream of the people of this nation that life insurance should be exempted from GST, and health insurance should be exempted from GST. Today, she has done that. Nearly 33 life-saving medicines are exempted from GST. This shows how concerned the Government of India is as far as health is concerned.

Another important thing worth mentioning is that today we have the National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTTO) where organ transplantation has been included as a free procedure for the benefit of poor patients. Today, heart, lung, kidney, and liver are included under NOTTO.

My suggestion would be that even the bone marrow transplantation need to be included because bone marrow is also an organ and bone marrow transplantation in private sector is pretty expensive. It goes somewhere between Rs. 20 lakh and Rs. 30 lakh. In our State of Karnataka and some other States also, it is already

included under Jeeva Sarthakathe Programme. So, I propose to include bone marrow transplantation under this Programme.

Another important initiative is the Prime Minister National Dialysis Programme. Today, people have accepted that dialysis is part of life. Earlier there was hesitancy, and under this Scheme, 28 lakh chronic kidney patients are undergoing dialysis free of cost. Almost 3.5 crore cycles have been done. There is a need to expand this National Dialysis Programme because more and more people are coming. You look at COVID and post-COVID scenario. (*Interruptions*) I will just take a couple of minutes. Yes, some of the chemotherapy drugs have been exempted from GST. We are raising some cess and internal resource mobilization is going to happen because of health cess as well as security cess. After chemotherapy, nowadays we give immunotherapy. So, immunotherapy drugs are pretty expensive, and for each patient, it costs somewhere between Rs. 30 lakh and Rs. 60 lakh. I draw the attention of our hon. Finance Minister to exempt these immunotherapy drugs. There are nearly 40 immunotherapy drugs for cancer which are exempt from the customs duty. As a result of this, the cancer care will be more affordable, more accessible and this is one of the important things.

In fact, we really appreciate the Ayushman Bharat Programme. We have a hub-and-spoke model today for the treatment of heart attack. Three million deaths are happening due to heart attack and brain stroke. Unfortunately, 30 per cent of heart attacks in India happen in people below 40 years of age. Even young people are suffering from heart attack. Under the hub-and-spoke model, the Taluk hospital gives a thrombolytic therapy, which costs Rs. 15,000. It is under the NHM scheme. Then they go to the nearest city hospital for angioplasty and stent programme, which is within the golden hour. The treatment has to be given within the golden hour for this thing. After this programme has been introduced, the death rate in Tier-2 cities and Tier-3 cities has come down from 25 per cent to 8 per cent. So, we are saving millions of lives.

I want to give another important suggestion. We need to encourage public-private partnership in Tier-3 cities. Tier-1 cities have fantastic Government hospitals as well as private hospitals. We need to encourage private hospitals to move into Tier-3 cities. We have to consider some tax-free holiday for private hospitals who are going to set up in the Tier-3 cities.

The Government of India's defence expenditure is phenomenally high. Somewhere around Rs. 6.8 lakh crore is spent on defence expenditure and modernization of

Armed Forces is taking place. India has demonstrated its might in the recent. (*Interruptions*) During Operation Sindoor, most of the weapons used were indigenous like BrahMos Missile. Recently, our defence expenditure has gone up. In fact, HAL in Bengaluru has got orders for 92 Tejas fighter jets worth Rs. 62,000 crore. India is really growing strong.

At this point of time, our infant mortality and maternal mortality have come down significantly, thanks to ASHA workers as well as Anganwadi workers. We need to support them by increasing their salary.

Thank you very much.

**SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR):** Vanakkam. As the Constitution of India becomes the focal point of a democratic and political set-up, passage of Bills in a swift manner will go against the concept of inclusiveness of democracy. Opposition parties should be given ample time to analyse the pros and cons of any Bill. But the Government is pushing their agenda and passing the Bills in a mechanical manner without giving time to the Opposition for proper scrutiny. This is unconstitutional. Why will you reduce the time allotted to Opposition parties? You should rather increase the number of sittings during each Session of Parliament. But in a democratic polity, this Government is totally denying the rights of the Opposition parties who are duty-bound to look into the pros and cons of each and every aspect. Therefore, I would say they are against the Constitution of India. Practical experience clearly proves this to the core.

Health security and National security both issues are important. Will this cess be sufficient and helpful for this important aspect of security? I am not finding fault with the intention of the Hon Finance Minister to search for financial resources. But why the corporate companies are not visible to their eyes? Why did you waive off NPAs amounting to 16 lakh and 60 thousand Crores. Should you not have taken this amount to the Government treasury? You are just transferring the income of the Government to reach the corporate companies. This is the wrongdoing of this Government. They are interested only to levy tax on the Micro, Small, and Medium Enterprises. That is why, I term this as a wrong doing.

What is the help provided by the Government to the people? As many as 80 Crore people are dependent on the wheat provided free of cost by this Government. How such people can be able to fulfil their medical needs. Will the release of Rs. 3 lakh form PM relief fund be sufficient for them? I want to ask whether the Ministers in

the Cabinet are getting medical treatment with this fund of Rs. 3 lakh? Why the full amount spent on treatment was not reimbursed to such applicants? This Government should reimburse to entire medical expenses incurred by them. Government should provide entire medical expenses incurred for treatments like kidney transplantation, Cancer, heart ailments and others. Only then we can call this as health security. This Government should do this. This is the one which should be fulfilled.

Why are you levying this cess? This is double taxation. Why are you affecting the rights of the States gradually? Why are snatching these rights from them? The ruling party is doing this. This is not good. There should be proper and timely action. The ruling dispensation said that they procured crude oil from Russia at a cheaper price. They were claiming this to be a sort of achievement on their part. But who was benefitted by selling that crude oil. It was the Adanis and Ambanis who were benefitted. Is there any benefit provided to the people of this country by way of reduction in prices of petroleum products? Whether the prices of Diesel or Petrol was brought down? Not at all. If want to say in a better language it is an action of theft. The benefit of reduction in prices was transferred to the corporate giants. Is it not an act of immorality? If I make a list of such wrong-doings of this Government, it will be never ending.

This Bill is not for fulfilling the two objectives for which it was brought before this House. They have traced an opportunity to just to put tax for the second time. This will not be helpful for the people of this country. This Bill will neither provide protection to our country. This Governments actions are always against the welfare of the people and I therefore oppose them.

Thank you.

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सभापति महोदया, मैं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 का पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसका मैं ही समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जब से सदन में चर्चा हो रही है, हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो साथी हैं, सभी ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह एक ऐसा विषय है, जो मानव जीवन से जुड़ा है। इनके सेवन से लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, उसके इलाज पर खर्च होने वाले पैसे से पूरा परिवार प्रभावित होता है, इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विपक्ष के साथी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। यह विधेयक देश के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक कदम है। इस विधेयक के लिए मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

महोदया, पान मसाला और अन्य अधिसूचित वस्तुओं पर उपकर लगाकर सरकार जो अतिरिक्त संसाधन जुटाना चाहती है, वह सीधे स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा परियोजनाओं में खर्च होगा। यह व्यवस्था पारदर्शी है और समाज

के हित में है। इस बिल के आने से अवैध उत्पादन, मशीनों की गलत घोषणा, टैक्स चोरी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण होगा।

सभापति महोदय, देश में तंबाकू की कई यूनिट्स हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। अक्सर पाउच गलत तरीके से घोषित की जाती है और बड़े पैमाने पर कर चोरी होती है। इसलिए इस बिल में निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की कड़ी शक्तियां दी गई हैं, ताकि अवैध व्यापार को रोकने में प्रभावी कार्रवाई हो सके। उच्च उपकर और कड़े दंड से सरकार अनुशासन और पारदर्शिता लाना चाहती है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए आधुनिक हथियार, तकनीकी निगरानी, सीमा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। सरकार एक निरंतर और सुनिश्चित राजस्व स्रोत बनाना चाहती है, जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च हो सके। इस उपकर से मिलने वाली बड़ी राशि इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी। मैं सरकार के इस दूरदर्शी प्रयास की सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस विधेयक से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा और अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थायी वित्तीय समर्थन मिलेगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल तक, जो पहला सवाल उठा है, वह यह है कि लैंग्वेज को हाइब्रिड बनाना बंद कीजिए। यह सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अलग-अलग भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन हाइब्रिड मत बनाइए।

दूसरी बात यह है कि क्या अब नेशनल सिक्योरिटी शब्द अपने आप में अपीलिंग नहीं रह गया है? क्या इस सरकार पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जनता इतना भरोसा नहीं कर रही है कि वह सेस लगा सके? इसके लिए हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस तक लाने की बात आई है और जो सबसे नाजुक पहलू है, कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया। उस निरोगी काया के सवाल को छोड़कर आम जनता से सेस लेने की इसमें कोशिश की गई है। जहां तक इस बिल के जरिये नशा नियंत्रण की बात है कि ज्यादा से ज्यादा सेस लगाएंगे, तो नशाखोरी कम होगी, तंबाकू का सेवन कम होगा। यह बिल खुद कहता है कि, Impact on consumers -- No major change as prices not likely to get impacted. यह बिल खुद स्वीकार करता है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह उनको भी खुश रखना चाहता है, जो इसके कंज्यूमर्स हैं। इसलिए इसके जरिये जो मोरल अर्थोरिटी लेने की कोशिश की गई है कि हम तो नशा विरोधी हैं।

### **17.34 hrs** (Hon. Speaker in the Chair)

महोदय, कई मामलों में इस सरकार ने अपनी मोरल अर्थोरिटी कमजोर कर दी है। संविधान की रक्षा के मामले में, लोकतंत्र की रक्षा के मामले में मोरल अर्थोरिटी कमजोर हुई है। कहीं न कहीं नशे के खिलाफ बोलकर, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल उठाकर वह मोरल अर्थोरिटी गैन करना चाहती है। इससे लगता है कि उसके मन में भी आशंका है। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर उसने जो पहलगाम हमले के मामले में, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में लापरवाही की है,

कश्मीर का आज तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तीन यूनिशन टैरिटरी बना दीं, बौद्ध का अलग, मुसलमान का अलग, लेकिन वह सॉल्व नहीं हो सका है। लद्दाख भी फिर से सुलग गया है। नेशनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो प्रादेशिक नागरिक हैं, उनका सहयोग कैसे इकट्ठा किया जाए, इस मामले में यह सरकार

फैल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी भरपाई आप इस बिल से करना चाहते हैं। चूंकि हमारा समय कम होता है, अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप इस बहाने या उस बहाने नागरिकों पर टैक्स लगाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर बिहार में अडानी के लिए 1050 एकड़ जमीन पर दस लाख पेड़ काटे दिए गए, तो इससे हवा में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो सेस उन लोगों पर लगाइए, टैक्स उन लोगों पर लगाइए। सेस बड़े पूंजीपतियों पर लगाइए, कॉर्पोरेट घरानों पर लगाइए।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : अध्यक्ष महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अर्थ मंत्री जी का भाषण बहुत गौर से सुन रहा था। मैं उन्हीं के दो-तीन मुद्दों पर थोड़ी सी बात करूंगा। इन्होंने कहा कि डिमैरिट गुड्स के लिए यह बिल लाया जा रहा है, जो एक्ट बनेगा। लेकिन पूरे बिल में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि any other goods which may be notified. यानी ये आज सदन से इजाजत ले रहे हैं कि इस एक्ट के तहत किसी पर भी यह सेस लगा सकते हैं। कल ये टेबल पर लगा दें, मेज पर लगा दें, आपके कपड़ों पर लगा दें, मेरे घर की गाड़ी पर लगा दें, किसी पर भी लगा दें। आज बात पान मसाले की हो रही है, लेकिन यह एक्ट पान मसाले का नहीं है। अन्य कोई गुड्स इन्होंने बता दिए हैं। फिर इन्होंने बताया कि हेल्थ के लिए एक डेटरेंट ला रहे हैं कि ज्यादा लोग तम्बाकू, पान मसाले वगैरह का इस्तेमाल न करें, इसलिए यह किया है। अब अगर बिल के ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं, तो इस बिल के ऑब्जेक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ये डेटरेंट करके बिल ला रहे हैं। यह टैक्स कलेक्शन के लिए बता रहे हैं। It is unprecedented that the Government should in the statement say that the deterrent tax and, yet in the Statements of Objects and Reasons, no mention has been made. फिर यह सेस की बात करते हैं कि यह सेस लाए हैं और इसे राज्यों से शेयर करेंगे। सर, पूरे बिल में कहीं नहीं लिखा है कि इस बिल से जो आमदनी आएगी, उसे राज्यों से शेयर करेंगे। कल भी इन्होंने बात की और ससिकांत सेंथिल जी के विषय पर अर्थ मंत्री जी आग-बबूला हो गए थे।

माननीय अध्यक्ष: टैक्स वसूल होगा, तो कल्याण के लिए काम आएगा ना।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील : जी सर, डेफिनेटली होगा। आपने मेरे मुँह की बात बोल दी। कल उन्होंने बताया कि सेस हम राज्यों को दे रहे हैं, खाली-पीली ये बोल रहे हैं। सर, यह सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी ने कहा है कि सेस के 3 लाख 67 हजार करोड़ रुपये जो राज्यों को देने थे, वे राज्यों को नहीं गए। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह सीएजी बोल रही है कि यह किया गया है। फिर यह कैपिसिटी की बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: वित्त मंत्री जी इस बात का अच्छे से जवाब देतीं।

(Interruptions)

**SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL:** No, I have got the reports.

(Interruptions)

दुबे जी, मैं पेश करता हूँ। I will give in writing. (Interruptions) अगर मैं पेश नहीं कर पाया, तो आप रिकार्ड से निकाल दीजिए। दुबे जी प्लीज थोड़ी सांस रोकिए, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, थोड़ा संभालकर बोलिए।

अब आगे उन्होंने कैपेसिटी की बात की कि कैपेसिटी पर भी टैक्स लगा रहे हैं। अब कैपेसिटी की बात यह है कि this Government has failed. यह इस टैक्स पर कोई भी कंट्रोल लाने के लिए यशस्वी रहे हैं। यह जानते हैं कि यह टैक्स सब लोग डुबा रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए इन्होंने कैपेसिटी पर लगाया है। फिर यह क्रिमिनल प्रॉविजन लाए, पहली बार टैक्स न भरने के लिए क्रिमिनल प्रॉविजन लाया गया है। It is unprecedented. यह कभी नहीं हुआ, यह क्यों लाया गया है? अभी हम अगले सप्ताह जन-विश्वास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बात करेंगे। हम ईज ऑफ डूइंग पर क्रिमिनलाइजेशन कम कर रहे हैं। ये नया एक्ट ला रहे हैं, जिसमें यह बोल रहे हैं कि अगर टैक्स देर से दिया, तीस दिन लेट दिया, तो आपको जेल में डाल देंगे। कोई नया बड़ा बिजनेसमैन इस पान-मसाले के धंधे में आने वाला है, इसलिए क्रिमिनल इंटीमिनेशन करके छोटे बिजनेसमैन को निकालने का प्लान है, यह मैं पूछना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: एक बात बताइए कि यह टैक्स छोटे बिजनेसमैन पर लगेगा और बड़े बिजनेसमैन पर भी लगेगा। यह आपका कोई तर्क नहीं है।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: नहीं सर छोटों पर क्रिमिनल लाएंगे और सबको डरा देंगे कि तुम निकलो। सर, जीएसटी 2.0 की बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं। चलिए आपकी बात पूरी हो गई।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: सर, एक मिनट भी नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: हो गया है, इतना ही काफी है। श्री टी. उदय श्रीनिवास।

(व्यवधान)

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: I would like to say that health is not a revenue model. एडिक्शन, ये कोई टैक्स बेस नहीं हो सकता है और नेशनल सिव्योरिटी यह पान-मसाला पर आप लोग नहीं बना सकते हैं।

धन्यवाद सर।

**SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA):** Hon. Speaker, Sir, I rise today to express my whole-hearted support for the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025. This Bill proposes a cess on the production of pan masala and other notified goods, either based on the machine capacity or manual production. Its purpose is clear to decrease production of harmful products and safeguard public health.

Sir, tobacco and related products remain among the leading cause of preventable deaths in India, accounting for an estimated 1.35 million deaths every year. By reducing consumption, this Bill is not merely a physical measure, it is a vital public health intervention. The revenue generated will be used for two crucial areas, that is health security and national security. On national security, under the visionary

leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has made remarkable progress from strengthening borders to ensuring citizen safety at home and abroad.

Sir, I would like to thank the Government for the prompt and compassionate action in ensuring the safe repatriation of fishermen from my constituency, Kakinada, who had inadvertently drifted into Sri Lankan waters. Their safe return along with their boats reflects the Government's commitment to protecting the dignity and safety of every Indian citizen. The Government has consistently demonstrated strategic clarity and effective execution, whether through the large-scale defence operations like Operation Sindoor, or swift rescue of citizens.

Sir, India's defence capabilities have grown tremendously over the past decade. Defence expenditure increased from Rs. 2.53 lakh crore in 2013-14 to Rs. 6.8 lakh crore in 2025-26. Defence production has tripled up from Rs. 1.5 lakh crore in 2024-25. Defence exports have now reached 100 countries, including the US, France and Armenia. But, Sir, a secured nation is also a healthy nation, India's health sector has undergone unprecedented expansion. Ayushman Bharat, PMJAY has provided health protection to 55 crore people, enabling treatments worth Rs. 1.19 lakh crore. The Ayushman Bharat Digital Mission ABDM has linked 55 crore health records to 78 crore ABHAs. Under PM-ABHIM, over 28,000 health and wellness centres have been strengthened nation wide. The National Health Mission Budget has risen 70 per cent reaching Rs. 37,226 crore in 2025-26.

Sir, these achievements reflect a decade of visionary and compassionate governance. However, I wish to make a humble submission regarding the cess revenue. Health is a State subject and implementation of health initiatives ultimately depends upon the States. I, therefore, urge the Government to explore a mechanism to share a portion of cess revenue with the States. This will ensure the National Health Mission schemes and infrastructure reforms are implemented effectively across all regions. Stronger States will make more of a stronger India. I am sharing, revenue will deepen the impact of this progressive Bill.

In conclusion, Sir, the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025 is timely, responsible, and forward looking. It will reduce consumption of harmful products, safeguard public health, strengthen the national security and mobilise critical resources for the nation's future. I fully support the Bill and urge the Government to ensure that its benefit reaches every citizen across India.

Thank you, Sir.

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष जी, कितना अच्छा होता कि सरकार पान मसाला के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक लाती और हम सभी उस पर चर्चा कर रहे होते । सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए, लोगों के जीवन से सरकारें कब तक खेलती रहेंगी? आखिर हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं?

लगा के चोट, मरहम की बात करते हो ।

ज़हर देते हो, फिर मरहम की बात करते हो ।

विधेयक देख कर ऐसा लगा मुझको कि

आप आपदा में भी अवसर की बात करते हो ।

आज देश के जितने भी पान मसाला उत्पादक हैं । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भदौरिया जी, क्या आप कवि हो?

(व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया : सर, वे अरबपति-खरबपति बनते जा रहे हैं और पान मसाला को खाने वाला आदमी कैसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो कर समय से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है । पान मसाला में कांच पीस कर मिलाया जाता है, जो गाल में घाव कर देता है और वह कैसर बन जाता है ।

सत्ता पक्ष की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन आदरणीय जगदंबिका पाल जी को मैं सुन रहा था तो बर्बत सच्चाई उनके मुंह से निकल गई । उन्होंने कहा कि यह विधेयक दुनिया की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के झटके से निपटने में भारत की मदद करेगा ।

यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेस लगाकर डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपये को आप बचाना चाहते हैं । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सेस का कुछ हिस्सा हम राज्यों को स्वास्थ्य जागरुकता के लिए देंगे ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह कितना हास्यास्पद है कि पहले बीमार कीजिए, फिर जागरुकता फैलाइए । दरअसल यह उपकर सरकार की आर्थिक विफलताओं को आमजन की जीवन की कीमत पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना है । आप कभी स्वच्छ भारत उपकर, कभी कृषि उपकर और कभी शिक्षा उपकर लगाते हैं, परंतु सीएंडएजी कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर के लाखों-करोड़ों रुपये खर्च ही नहीं किए गए । इसलिए आपका यह कहना कि सेस लगाने से कीमत घटेगी और खरीदार हतोत्साहित होंगे, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ । आप कितनी भी कीमत बढ़ा लीजिए, यह पान मसाले की जो तलब है, वह छूटने वाली नहीं है । लोग खूब खाएंगे और शान से कहेंगे कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खा रहा हूँ, इसलिए आपको खूब राजस्व मिलेगा । इसको बनाने वाले और ज्यादा अमीर होंगे और खाने वाले कैसर से मरते रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि कैसर जैसी गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाए । आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कीर्ति चिदम्बरम ।

(व्यवधान)

**SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA):** Sir, in all these years, you have not got my name correct. It is Karti.

माननीय अध्यक्ष : कार्ती चिदम्बरम, अब ठीक है? Right?

**SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM :** Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मैं जब तक सही न बोलूं, तब तक आप बताते रहिएगा । ठीक करना हमारा काम है ।

**SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM :** Sir, this Bill is actually a continuum of yesterdays Bill. You have given adequate time, in fact, a very luxurious time, for both the Bills. This also shows that the Government has a very light legislative agenda. Anyway, thank you for the time.

Sir, this Bill is called the Health Security Se National Security Cess Bill. This name is confounded because if you actually look at se in the English dictionary, it actually denotes the chemical selenium. So, I was completely confused why selenium is here in this name of the Bill. Then, I had to ask some of my colleagues. They told me that se is actually a Hindi word which says that it is from health security to national security. So, this Government is now levying a cess to strengthen health security and national security. Perhaps, they were prompted by the failures in Pahalgam and Chandni Chowk that they think that they need to have more resources to prevent these kinds of terror strikes. The House has still not been taken into confidence. No accountability has been fixed for those two terror strikes. I hope during this Session we will get some holistic answers from the Government on why Pahalgam happened; where the accountability will lie; and why the terror strikes in Chandni Chowk happened.

Sir, I have some specific objections to the Bill. My colleague Dr. M. K. Vishnu Prasad has very eloquently talked about the anti-federal nature of cess and tax. Every time a Government raises a cess on some pretext, the money is really never spent on the intended purpose. This is not just a critique of this Government. Successive governments in India have raised cess and never spent on it. There are enough reports which speak about the money which is collected as cess and even as the education cess. I think one report said that we collected some four per cent as education cess and about Rs. 90,000-odd crore has never been deployed. I am afraid that this fund also will face the same condition and the money will never be spent for intended purposes.

When it comes to the intended purposes, the Bill does not say what the intended purposes are. It basically says, health security to national security. It is like motherhood and apple pie. Nobody can object to it. But what are you going to specifically spend it on? That has not been specified at all. How much revenue will you get through this cess? That has also not been specified. This is an overarching Bill which gives power to the Government to add any other product to it and also to increase the rate without ever coming back to Parliament. So, it is actually going to bypass Parliament in the future. It is going to collect money which is not going to go to the States. On those two counts, I object to this Bill.

Thirdly, in this Bill, the tax and the cess are going to be not on the production but on production capacity. This production capacity is going to open a Pandoras box for the bureaucrats to go and harass these manufacturers. The manufacturer will have a certain production capacity. But he will say, My machine is not working. So, how do you calculate my production capacity? I have not got my spare parts. Last year, there was a flood. Insurance company is not giving me money to repair my machine to increase my production capacity. So, this is the most arbitrary way of levying a tax.

This is going to create confusion and corruption. This is not ease of doing business; it is only helping the bureaucracy and another tool to go and harass.

So, this Bill is anti-federal because it is a cess. This Bill is anti-business because it is production-linked, and this Bill is anti-health because it does not specify what it is going to do for health. This Bill is anti-national security because it does not say what it is going to do for national security.

Therefore, I urge this House to reject this Bill. Thank you.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद अध्यक्ष जी । मैं आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर अपनी बात रख रहा हूँ । यह विधेयक जितना बड़ा नाम लेकर आया है, उतने ही बड़े सवाल साथ लाया है । इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना बताया गया है । लेकिन इसकी संरचना, प्रावधान और भाषा में भारी अस्थिरता है । अति सख्त और राजस्व वसूली की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है । 'नाम बड़ा और दिशा धुंधली' सरकार कहती है कि उपकर राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर व्यय को पूरा करेगा, लेकिन कौन-सी राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना? कौन-सा स्वास्थ्य कार्यक्रम? कितना फंड किस योजना को मिलेगा? किस मंत्रालय को कितना आबंटन होगा? विधेयक में एक भी ठोस उल्लेख नहीं है । इससे यह उपकर विषय वस्तु के बिना नाम मात्र का कर बन कर रह जाता है ।

अध्यक्ष जी, विधेयक यह स्पष्ट कहता है कि उपकर का पैसा कंसोलिडेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। इसका अर्थ है, पैसा किसी भी सामान्य सरकारी खर्च में मोड़ा जा सकता है। न संसद में स्पष्ट हिसाब मिलेगा, न जनता को पता चलेगा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कितना पैसा लगा है। यदि पैसा कहीं भी जा सकता है, तो इस उपकर का नाम स्वास्थ्य सुरक्षा क्यों? उत्पादन आधारित उद्योग पर भारी प्रहार, इस बिल में मशीनों की क्षमता और उत्पादन पर उपकर लगाया जाएगा। इतना भारी उपकर छोटे उद्योगों को समाप्त करेगा। मध्यम उद्योगों को अस्थिर करेगा। लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ेगी। उत्पादकों पर अनुचित आर्थिक दबाव पड़ेगा। क्या सरकार यह बिल लाकर उत्पादन और उद्यमियों को दंडित करना चाहती है? क्या अधिकारियों को अत्यधिक सख्ती से भ्रष्टाचार का खतरा दोगुना होगा। विधेयक में तलाशी, जब्ती, छापे, निरक्षण, गिरफ्तारी और सख्त ऑडिट के विशाल अधिकार सिर्फ आयुक्त स्तर के अधिकारियों को दिए गए हैं। इससे अधिक शक्तियों से दमनकारी कर वसूली बढ़ेगी, व्यावसायी भय में काम करेंगे। भ्रष्टाचार और रेड स्कीम को बढ़ावा मिलेगा। इतिहास गवाह है कि कभी भी अत्यधिक दमन से न अनुपालन बढ़ता है, न राजस्व। अवैध छुपा हुआ भूमिगत उत्पादन बढ़ेगा। जब मशीन की क्षमता पर भारी उपकर लगाया जायेगा तो उद्योग उत्पादन छुपायेंगे, अवैध यूनितें चलायेंगे, अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, काला बाजार मजबूत होगा और डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार जीएसटी सेस बढ़ने के बाद अवैध बाजार 13 हजार करोड़ तक दोगुना हुआ है। क्या सरकार वही गलती दोहराना चाहती है? नशीले उत्पादों की मांग कीमत बढ़ने पर भी नहीं घटती है। पान-मसाला जैसे उत्पाद एडिक्टिव हैं, कीमत बढ़ने से इनकी उपभोगता कम नहीं होती, बल्कि गरीब लोग सस्ते, मिलावटी, जहरीले, काला बाजार उत्पाद खरीदते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है, सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है। समाज में दीर्घकालिक नुकसान होता है। क्या यह स्वास्थ्य सुरक्षा या स्वास्थ्य संकट, राज्यों को उनका संवैधानिक हिस्सा न मिलना, ऐसे उपकर नॉन डिविजिबल हैं। इसका अर्थ है राज्यों को इसमें से एक रुपए का भी हिस्सा नहीं मिलेगा। केन्द्रवाद बढ़ेगा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता कमजोर होगी, विकास योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्यों का हक क्यों छीना जा रहा है? विधेयक को संसदीय परीक्षण से बचा कर जल्दी पारित करने की कोशिश गलत है। इतना महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला विधेयक उद्योग, उपभोक्ता, राज्यों, कर-प्रणाली, आर्थिक गतिविधि, सभी को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष यह है कि विधेयक देशहित में नहीं, राजसी हित में है। माननीय अध्यक्ष जी सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह विधेयक अस्पष्ट है, अनियंत्रित है, शक्तियां देता है, उद्योग विरोधी है, अवैध बाजार बढ़ायेगा, गरीबों को नुकसान पहुंचायेगा, राज्यों के अधिकार छीनता है और उपकर प्रणाली को अविश्वसनीय बनाता है। हमारी स्पष्ट मांग है कि विधेयक को तत्काल प्रवर समिति, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। उपकर की दर, उपयोग और पारदर्शिता की ठोस प्रणाली को शामिल किया जाए। कर अधिकारियों की शक्तियों को सीमित और जवाबदेह बनाया जाए। उपकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय हो, इसका कानूनी प्रावधान अनिवार्य किया जाए। इन्हीं शर्तों के साथ मैं इस बिल का विरोध कर संशोधन सहित पुनर्विचार की मांग करता हूं।

अध्यक्ष जी, अंत में इस बिल को पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की सुरक्षा में अब अत्याधुनिक हथियारों की नहीं, पान-मसालों की ज्यादा जरूरत है और हर चौराहे पर खड़ा होने वाला व्यक्ति यह कहेगा कि देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान उसका है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने गुटखा और पान मसालों के निर्माताओं पर नेशनल सिग्युरिटी और जन-स्वास्थ्य सेस लगाने के लिए यह प्रस्ताव लायी हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-स्वास्थ्य पर होने वाले सेस के द्वारा अतिरिक्त संसाधान जुटाने में सरकार को मदद करेगी। इस प्रस्ताव के तहत उन मशीनों और निर्माण प्रक्रिया पर सेस लगेगा, जिनसे पान मसाला और गुटखा आदि का उत्पादन मैनुअली होगा, या हाईब्रिड प्रोसेस से होगा। उस पर मशीन की क्षमता पर अलग-अलग दर से उपकर लगाने पर सरकार विचार कर रही है। पहला-सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार के लक्ष्य को सुनिश्चित करेगा और दूसरा- राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। ऐसा सरकार का मानना है। कल ही सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक्साइज विधेयक के माध्यम से तम्बाकू और उसके उत्पाद एवं सिगरेट आदि पर सेस खत्म होने के बाद राजस्व की किसी भी कमी को बरकरार रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का बिल पास कराया है। अब यह प्रस्ताव सरकार की अगली प्रक्रिया के आधार को मजबूत करेगा। यह अच्छा कदम है।

अध्यक्ष महोदय, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा पान मसाला आदि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, फिर भी सेवन करने वालों की बढ़ोतरी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। यह हमारे स्वास्थ्य सेवा पर भी बोझ को बढ़ा रहा है। अब जहां इन वस्तुओं का मूल्यवृद्धि अधिक होगा, निर्माताओं पर अधिक सेस का भार पड़ेगा, तो आशा है कि लोग उपयोग में कमी लायेंगे। साथ ही यह प्रक्रिया आम जनता में जागरूकता लाने का काम करेगी। लोगों में जागरूकता लाकर ही किसी सामाजिक स्वास्थ्य का बदलाव आसानी से किया जा सकता है। सरकार का यह विचार काफी सराहनीय है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में एक आंकड़ा आया है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख लोगों की मौत तम्बाकू से जुड़ी बीमारियों से होती है। सरकार का मानना है कि मौत के कारण सरकार को जितना आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, उससे काफी कम राजस्व तम्बाकू उद्योग और पान मसाला आदि उद्योगों से मिलता है। वर्तमान टैक्स सिस्टम से सरकार को उतना राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण उपकर की व्यवस्था का प्रस्ताव सदन में आया है। यह जायज भी है कि अब गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जैसी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो शायद उपभोक्ता, खासकर युवा वर्ग एवं कम आमदनी वाले लोगों को इसका इस्तेमाल कम करने या नहीं करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में तम्बाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 70 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त सेस उपकर का प्रावधान है। सिगरेट की लम्बाई के अनुसार 2700 रुपये से लेकर 11000 रुपये प्रति 1000 स्टिक पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही मशीनों पर, जो उत्पादन करती हैं, उन पर भी सेस बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो मशीन 2.5 ग्राम तक से लेकर 10 ग्राम से अधिक वजन वाले प्रति मिनट 500 पाउच तक का उत्पादन करती हैं उस पर मासिक उपकर एक करोड़ रुपये से लेकर करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये तक होगा, और जो मशीन प्रति मिनट 501 से 1000 पाउच उत्पादन करती है, उस पर प्रति मशीन उपकर करीब दो करोड़ रुपये से 17 करोड़ रुपये प्रति माह लगाने का प्रस्ताव है। फिर 1001 से 1500 पाउच या उससे अधिक पाउच प्रति मिनट बनाने वाली मशीन पर उपकर प्रति माह और अधिक हो सकता है। साथ ही, मैनुअल प्रक्रिया वाली उत्पादन पर भी उपकर लगेगा ही, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चिन्ता का विषय है। इस विषय को माननीय वित्त मंत्री जी जरूर स्पष्ट करेंगी। इंडस्ट्रीज को आश्वस्त कराने का काम करेंगी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े पान मसाला कम्पनी तो इस उपकर को सहन कर लेंगी लेकिन छोटे निर्माताओं के लिए आर्थिक संकट पैदा हो सकता है और इससे इस क्षेत्र में कामगारों और कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। छोटे निर्माताओं को अपना उद्योग बंद भी करना पड़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। इस विषय को माननीय वित्त मंत्री जी स्पष्ट करेंगी तो सदन और देश

की आम जनता को सरकार के प्रस्ताव पर संशय नहीं होगा । इंडस्ट्रीज में जो संशय है वह दूर होगा । इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ।